सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail : tameer1963@gmail.com
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक)	50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

सच्चा राही
A/c. No. 10863759642 (Current A/c.)
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.
कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नं0 0522–2740406 अथवा ईमेलः tameer1963@gmail.com पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

फरवरी, 2019 वर्ष 17 अंक 12

एलेक्शन और एलेक्शन के बाद

हो हुकूमत का चुनाव तो लाज़िमन तुम वोट दो
जिस को अच्छा समझो तुम बस उसी को वोट दो
वोट देने में जो हो तुम को किसी से इख़्तिलाफ़
बाहम महब्बत ही रहे बस वोट में हो इख़्तिलाफ़
जीत कर जो पार्टी हुकमरां हो क़ौम की
क़ौम की खादिम बने, ख़िदमत करे वह क़ौम की
क़ौम को अब चाहिए उस का तआवुन अब करे
जीत कर जो आया हो अब उसको अपना वह कहे
जम्हूरियत या लोकतंत्र की बस यही तो मांग है
मिल के शासन सब चलायें लोकतंत्र की मांग है

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Editing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	07
ईमान की शक्ति के साथ	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	09
इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	13
आदर्श शासक	मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी	15
समय की अत्यन्त महत्वपूर्ण	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	18
पारस्परिक सहयोग तथा उदारता	हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	19
खूब गौर कीजिए फिर ज़बान	मौलाना मुहम्मद तारिक नोमानी	21
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	25
अभिमान की पहचान	हज़रत मौ0 मुहम्मद ज़करिया रह0	29
हमारे व्यवहार तथा आचरण	हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	31
दावते इरतिदाद का मुक़ाबला	मौलाना सै0 मुहम्मद हमज़ा हसनी नदवी	32
हम कौन हैं (पद्य)	इदारा	33
इस्लामी कल्याणकारी व्यवस्थाएं	मौलाना सय्यिद जलालुद्दीन उमरी	34
हज़रत मौलाना वाज़ेह रशीद रह0	सम्पादक	39
सच्चा राही की कहानी (पद्य)	इदारा	40
अपील बराए तामीर	इदारा	41
उर्दू सीखिए	इदारा	42

क़ुरआन की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-माइदाः

अनुवाद–

आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को छोड़ कर ऐसों को पूजते हो जो तुम्हारे लिए किसी नफ़ा नुक़सान का मालिक नहीं और अल्लाह ही ख़ूब सुनने वाला खूब जानने वाला है(76) आप कह दीजिए कि ऐ अहल–ए–किताब! अपने दीन (धर्म) में नाहक़ हद से आगे मत बढ़ो[1] और उन लोगों की इच्छाओं पर मत चलो जो पहले गुमराह हो चुके और उन्होंने बहुतों को गुमराह किया और सीधे रास्ते से भटक गए(77) बनी इस्राईल में जिन्होंने कुफ्ऱ किया उन पर दाऊद और ईसा पुत्र मरियम की ज़बान से फिटकार की गई इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी (अवज्ञा) की और वे हद से आगे बढ़ते रहे(78) जो बुराई वे करते थे उससे एक दूसरे को रोकते न थे बड़े ही बुरे कामों में वे लगे हुए थे(79) उनमें बहुतों को आप देखेंगे कि वे काफिरों से दोस्ती रचाते हैं[2] बड़ी ही बुरी चीज़ है जो वे अपने लिए आगे भेज चुके हैं जिससे उन पर अल्लाह का प्रकोप हुआ और वे हमेशा अज़ाब ही में पड़े रहेंगे(80) और अगर वे अल्लाह पर और पैग़म्बर पर और उस पर उतरी चीज़ पर ईमान लाए होते तो (कभी) उन (काफिरों) को दोस्त न बनाते लेकिन उनमें अधिकतर नाफ़रमान (अवज्ञाकारी) हैं[3](81) आप लोगों में ईमान वालों के साथ सबसे बढ़ कर दुश्मनी रखने वाले यहूदियों और मुश्रिकों को पाएंगे और आप पाएंगे कि ईमान वालों के लिए दोस्ती में सबसे ज़ियादा निकट वे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं इसलिए कि उनमें बहुत से आलिम और दुरवेश हैं और वे घमण्ड नहीं करते(82) और जब वे उस किताब को सुनते हैं जो पैग़म्बर पर उतरी तो आप देखेंगे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं इसलिए कि उन्होंने सत्य को पहचान लिया, वे कहते हैं ऐ हमारे पालनहार हमने मान लिया बस तू हमें गवाही देने वालों में लिख दे(83) और हम अल्लाह पर और उस हक़ पर जो हमारे पास पहुंच चुका क्यों न ईमान लाते जब कि हम यह कामना करते हैं कि हमारा पालनहार हमें नेक लोगों में शामिल कर दे(84) बस अल्लाह ने उनके इस कहने पर उनको ऐसी जन्नतें

बदले में दीं जिनके नीचे नहरें जारी हैं उसी में हमेशा रहेंगे और अच्छे काम करने वालों का बदला यही है[4](85) और जिन्होंने इन्कार किया और हमारी आयतों को झुठलाया वही लोग दोज़ख़ (नर्क) वाले हैं(86) ऐ ईमान वालो! अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो पवित्र चीज़ें हलाल (वैध) कर दीं उनको हराम (अवैध) मत ठहराओ और हद से आगे न बढ़ो, हद से आगे बढ़ने वालों को अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करता(87) और अल्लाह ने तुम्हें जो हलाल व पवित्र रोज़ी दी है उसमें से खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम्हारा ईमान है[5](88) तुम्हारी निरर्थक कसमों पर अल्लाह तुम्हारी पकड़ नहीं करता हाँ जो पक्की कसमें तुम खाते हो उन पर अल्लाह तुम्हारी पकड़ करता है, बस इसका कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) यह है कि जो औसत खाना तुम अपने घर वालों को खिलाते हो वह दस मोहताजों को खिलाओ या उनको कपड़े दो या गुलाम आज़ाद करो फिर जिसको ये चीज़ें उपलब्ध न हों तो तीन दिन के रोज़े रखे यह तुमरी कसमों का कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) है जब तुमने कसमें खा ली हों तो अपनी कसमों की रक्षा किया करो, अल्लाह अपनी आयतें खोल –खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ[6](89)

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. अक़ीदे (विश्वास) में हद से आगे बढ़ना यह हुआ कि ईसा को खुदा का बेटा बना बैठे और कर्म में हद से आगे बढ़ना यह है कि रहबानियत (सन्यास) को अल्लाह से निकटता का साधन समझ लिया।

2. उन यहूदियों की ओर इशारा है जो मदीने में आबाद थे और उन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्ल0 से समझौता कर रखा था मगर फिर भी मक्के के मुश्रिकों से छिप कर दोस्ती रखते थे और उनके साथ मिल कर मुसलमानों के खिलाफ़ षडयंत्र करते थे।

3. यहूदियों और ईसाईयों का सम्मिलित हाल बयान हो रहा है उन्होंने बुराईयों में कोई कमी न छोड़ी, काफ़िरों को दोस्त बनाते और ईमान वालों से दुश्मनी करते हैं अगर वे ईमान को समझते और मानते तो अल्लाह के बाग़ियों से दोस्ती न रचाते फिर आगे बताया जा रहा है कि यहूदी और मुश्रिक मुसलमानों के सख़्त दुश्मन हैं और उनकी तुलना में ईसाई थोड़ी नरमी रखते हैं इसलिए कि उनमें उलमा (धर्म–ज्ञाता) और दुरवेश भी हैं और उनमें घमण्ड नहीं है, आज भी यह एक वास्तविकता है कि यहूदियों की दुश्मनी ईसाईयों से बहुत ज़ियादा बढ़ी हुई है और वे ईसाईयों को भी मुसलमानों के खिलाफ़ उकसाते रहते हैं, और ईसाईयों में यहूदी मानसिकता रखने वाली एक बड़ी संख्या उत्पन्न हो गई है जो मुसलमानों की सख़्त दुश्मन है।

शेष पृष्ठ....12 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

कुछ सर मुंडाने और कुछ छोड़ देने की मुमानियतः–

हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कजअ़ (अर्थात सर के बालों को कहीं मूंडना और कहीं छोड़ने को कजअ़ कहते हैं) से मना फरमाया है।

(बुखारी मुस्लिम)

हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक लड़के को देखा जिस का आधा सर मुंडा था और आधे में बाल थे आपने इस से मना फरमाया, और फरमाया या तो तमाम बाल मुंडवा दो या बिल्कुल न मुंडावो।

(अबू दाऊद)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत जाफर रज़ि0 की शहादत के बाद तीन दिन आले जाफर को छोड़ रखा (यानी उनको रंज से मना नहीं फरमाया) तीन दिन बाद आप तशरीफ लाये और फरमाया अब मेरे भाई पर न रोना (हज़रत जाफर रज़ि0 हुजूर सल्ल0 के चचेरे भाई थे) फिर फरमाया मेरे भतीजों को लाओ, पस हम लोग लाये गये, गोया हम चूज़े थे, आपने नाई को बुलवाया और हमारे सरों को मूंडने का आदेश दिया।

(अबू दाऊद)

हज़रत अली रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरत को सर मुंडाने से मना फरमाया है।

(नसई शरीफ)

बाल में बाल मिलाने और गोदने और दांतों को तेज करने की मुमानियतः–

अनुवादः पस यह तो सिवा अल्लाह के औरतों ही को पुकारते हैं और यह सिर्फ शैतान सरकश ही की इबादत करते हैं जिस पर अल्लाह ने लानत की है और वह बोला मैं तेरे बंदों से जरूर उनका मुकर्रह हिस्सा लिया करूंगा और मैं उनको ज़रूर गुमराह करूंगा, उनको उम्मीदें दिलाऊंगा, उनको तालीम दूंगा तो वह जानवरों के कान चीरा करेंगे और उनको तालीम दूंगा तो वह अल्लाह की बनाई सूरत में जरूर तब्दीली करेंगे, जो अल्लाह को छोड़ कर शैतान को दोस्त बनाये, वह खुले हुए नुकसान में आ गया, वह उन से वादे करता है उम्मीदें दिलाता है और शैतान जो कुछ उन से वादे करता है वह तो बस खालिस धोका है। (सूरः निसा–8)

हज़रत अस्मा रज़ि0 से रिवायत है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरी बेटी के बाल बीमारी की वजह से झड़ गये हैं और मैं उसकी शादी करने वाली हूं तो क्या मैं दूसरे का बाल लगा कर उसके बाल बढ़ा दूं, आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने बाल जोड़ कर बढ़ाने और बढ़वाने वाली पर लानत फरमाई है।

(बुखारी–मुस्लिम)

इसी प्रकार हज़रत आयशा रज़ि0 से भी रिवायत है। (बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत हमीद बिन अब्दुर्रहमान रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने हज के साल मिम्बर पर हज़रत मुआविया रज़ि0 से सुना है बालों का एक गुच्छा जो उनके पहरेदार सिपाही के हाथ में था, अपने हाथ में लिया और कहने लगे ऐ मदीना वालो तुम्हारे उलमा कहां हैं (अर्थात तुम्हारे उलमा को क्या हुआ ऐसे कामों से रोकते नहीं) मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, फरमाते थे बनी इस्राईल तब ही हलाक हुए जब उनकी औरतों ने यह वतीरा (स्वभाव) इख्तियार किया।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बाल जोड़ कर बढ़ाने वाली और बढ़वाने वाली, गोदने वाली और गोदवाने वाली पर लानत फरमाई है।

(बुखारी–मुस्लिम

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने गोदना, गोदने वालियों और गोदवाने वालियों और बाल उखाड़ने वालियों और दातों को रेत कर पतला करने वालियों पर जो हुस्न बढ़ाने की खातिर करती हैं अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में तब्दीली करती हैं उन पर लानत की, तो एक औरत ने हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि0 से इस बारे में बहस की, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि0 ने कहा मैं उस पर क्यों न लानत भेजूं जिस पर हुजूर ने लानत की है। कुर्आने पाक में तो मौजूद है।

अनुवादः जो तुम को रसूल दें उसको ले लो और जिन से मना करें उस से बाज रहो।

(बुखारी–मुस्लिम)

सफेद बाल उखाड़ने की मुमानियतः-

हज़रत अम्र बिन शुऐब रज़ि0 से रिवायत है कि वह अपने बाप से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़्ल करते हैं कि आपने फरमाया सफेद बाल न उखाड़ो यह कयामत में मुसलमानों के लिए नूर होंगे। (अबूदाऊद–तिर्मिजी)

हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारी शरीअत में नहीं है वह रद्द है। (मुस्लिम)

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

ईमान की शक्ति के साथ शारीरिक शक्ति भी आवश्यक है

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

''सहीह मुस्लिम'' में हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 द्वारा वर्णित एक लम्बी हदीस के एक भाग का भावार्थ इस प्रकार है कि ''शक्तिशाली मोमिन निर्बल मोमिन के मुक़ाबले में अल्लाह तआला को अधिक प्रिय है'' यदि कोई कहे शक्तिशाली से तात्पर्य ईमानी शक्ति है तो हम कहेंगे आप का कहना सहीह है परन्तु शारीरिक बल अथवा शक्ति को उपेक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर हदीस का अर्थ यह लिया जाय कि अल्लाह तआला को वह मोमिन जो ईमान में भी शक्तिमान हो और शारीरिक शक्ति भी रखता हो उस निर्बल मोमिन से अधिक प्रिय है जो शारीरिक निर्बलता भी रखता हो और ईमान में भी कुछ निर्बल हो तो उचित होगा।

ईमान में तो बलवान होना हर मुसलमान के लिए आवश्यक है अर्थात एक मोमिन ईमान में इतना सुदृढ़ हो कि किसी भय अथवा लालच से प्रभावित हो कर ईमान न छोड बैठे, किसी ने तो कहा है, ईमान अर्थात तौहीद (एकेश्वरवाद) पर हर हाल में जमा रहे, अगर उसके सिर पर तलवार रख कर कहा जाय कि शिर्क करो तो वह अपनी जान की परवाह न करे चाहे तलवार से उस का सिर चीर दिया जाय। इसी प्रकार उस को लाखों करोड़ों का धन दे कर शिर्क पर राज़ी किया जाय तो वह करोड़ों के धन को लात मार दे और तौहीद (एकेश्वरवाद) पर जमा रहे। एक हदीस का भावार्थ भी इससे मिलता जुलता है कि चाहे आग में जला दिया जाय परन्तु वह शिर्क न करे। यह ईमान में शक्तिमान होने का उदाहरण है। ईमान में कुछ दुर्बलता को इस से समझें कि अगर किसी मोमिन से बन्दूक की नोक पर शिर्क कराया जाय और उसमें जान की बाजी लगाने का साहस न हो मगर उस का मन ईमान पर सन्तुष्ट हो।

परन्तु बन्दूक के भय से वह कोई ऐसा वाक्य बोल दे जिस से शिर्क समझा जाय तो वह मुशरिक नहीं हुआ परन्तु ईमान में कुछ कमज़ोर अवश्य है। अल्लाह तआला हमारी मदद करे और हमारा ईमान ऐसा सुदृढ़ हो कि चाहे हमको बन्दूक से भून दिया जाय, आग में ढकेल दिया जाय हम अपने ईमान पर जमे रहें।

एक ईमान वाला इरादा करले और अल्लाह से मांगता रहे तो ऐसा ईमान उस को अल्लाह की ओर से प्रदान हो सकता है।

शारीरिक शक्तिः-

शारीरिक शक्ति उचित खान पान तथा उचित व्यायाम से प्राप्त होती है, आज कल हमारा शासन व्यायाम के लिए योगा पर अत्यधिक जोर देता है। यह योगा भारत की सांस्कृतिक धरोहर है इसलिए हमारे हिन्दू भाईयों तथा शासन को योगा अति प्रिय है।

योगा को हम भी प्रिय रखते हैं परन्तु चूंकि भारतीय संस्कृति में शिर्क बुरी चीज़ नहीं है अपितु उन के यहां शिर्क भली चीज़ है। अतः योगा में सूर्य नमस्कार नाम का आसन आ गया है जो खुला हुआ शिर्क है हम योगा अपनाते हैं और उस से लाभ उठाते हैं परन्तु सूर्य नमस्कार नहीं अपनाते एवं ओम नहीं कहते, लेकिन यहां यह समझ लेना चाहिए कि योगा के कुछ आसनों से कुछ रोगों से बचा जा सकता है। परन्तु योगी बलवान नहीं होता। योगी स्वस्थ अवश्य रह सकता है परन्तु वीर नहीं बन सकता।

''हमारी सेना में सैनिकों से परेड कराई जाती है, दौड़ करवाई जाती है, प्रतिदिन उनसे योगा का अभ्यास नहीं करवाया जाता'' योगा करने वाले आवश्यकता पर तेज़ दौड़ नहीं सकते, भारी भार उठा नहीं सकते, शारीरिक प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकते फिर भी हम योगा को उपेक्षित नहीं करते, उससे धर्म विरोधी बातें निकाल कर अपनाते हैं।

बलवान मोमिन बनने के लिए योगा पर इक्तिफ़ा करने को ग़लत समझते हैं। शारीरिक बल तथा स्वास्थ प्राप्त करने के लिए अल्लाह तौफ़ीक़ दे उचित खान पान का प्रबन्ध हो, प्रति दिन चिकना आहार उचित भोजन नहीं है। दाल–रोटी, सब्जी ही उचित भोजन है, अल्लाह सामर्थ्य दे जब तब सिहत मन्द (स्वस्थ) हलाल पशु पक्षी का गोश्त भी खाएं, भोजन के लिए समय नियुक्त करें, सुब्ह को नाश्ता, दोपहर और शाम में खाना, खाना भूख पर ही खाना चाहिए भूख न हो तो खाना न खाएं सम्भव हो तो नाशते में कुछ शुद्ध दूध का भी सेवन करें प्रति दिन व्यायाम करें व्यायाम में सब से अच्छा व्यायाम दौड़ना या तेज़ चलना है, कुछ डण्ड बैठक भी लगाएं परन्तु अधिक नहीं, व्यायाम का उचित समय पाखाना पेशाब से फ़राग़त करके फज्र की नमाज़ के बाद का है। भूख की हालत में या खाने के पश्चात पेट भरे होने की हालत में व्यायाम हानिकारक है, अगर मौक़ा मिले तो अस्र की नमाज़ के पश्चात भी थोड़ा टहलें मगर टहलने में ज़रा तेज़ चलना चाहिए, व्यायाम इतना हो कि पसीना आ जाये, व्यायाम की अधिकता भी ठीक नहीं है।

सांस के रोग से बचने के लिए तथा टीवी से बचने

के लिए मैं बहुत दिनों से सीने, आमाशय और आंतों के व्यायाम करता रहा हूं, यूवकों के लाभ के लिए यहां सिखाता हूं।

सुब्ह को उक्त व्यायाम के पश्चात खुली जगह खड़े हो कर दोनो हाथ ऊपर उठा कर फेफड़ों में सांस खींचें फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें ऐसा पांच बार करें यह फेफड़ों का व्यायाम हुआ।

फिर उसी प्रकार हाथ ऊपर उठाएं और खूब ताने और सांस द्वारा पेट फुलाएं फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा बाहर निकाल दें ऐसा पांच बार करें यह आमाशय का व्यायाम हुआ।

फिर उसी प्रकार हाथ ऊपर उठायें और पेट फुलाते हुए आंतों की ओर ज़ोर दें फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा बाहर निकालें, ऐसा पांच बार करें यह आंतों का व्यायाम हुआ।

इस व्यायाम में अधिक से अधिक दस मिनट लगेंगे अगर कोई युवक अथवा युवती जवान होने के पश्चात 30 वर्षों की आयु तक करता रहेगा तो दमा और टीबी के रोग से बचा रहेगा।

अब तो मैं बुढ़ापे के कारण बेकार सा हो चुका हूं वरना जब मैं मदरसों का दौरा करता था और वहां विद्यार्थियों से बात करने का अवसर मिलता था तो जहां मैं उन को मेहनत से पढ़ने का परामर्श देता था और अपने अनुभवों के गुर उन के सामने रखता था वहीं उनको व्यायाम करने पर प्रेरित करता था और प्रश्न करता था कि प्रति दिन व्यायाम करते हो या नहीं? मदरसे के ज़िम्मेदारों से भी अनुरोध करता था कि तल्बा के खेल कूद तथा व्यायाम का प्रबन्ध अनिवार्य जानें।

कुछ लोग लड़कियों के व्यायाम को अनर्थ बताते हैं यह उनकी बड़ी भूल है आज कल तो मुसलामनों में लड़कियों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध कर रखा है, कुछ मदरसों में लड़कियां बोर्डिंग में रह रही हैं। उनके परदे का पूरा प्रबन्ध होता है परन्तु उनके लिए व्यायाम का ध्यान नहीं दिया जाता जिस तरह उनके पढ़ने और रहने का परदे के साथ प्रबन्ध है उसी तरह उनको स्वस्थ रखने के लिए परदे के साथ उनके खेल कूद और उचित व्यायाम का भी प्रबन्ध होना चाहिए।

जो लड़कियां बोर्डिंग में नहीं रहती उनको चाहिए कि अपने घर के आंगन या कोठे पर प्रतिदिन कुछ व्यायाम कर लिया करें।

सारांश यह कि अल्लाह तआला को निर्बल मोमिन की तुलतना में शक्तिमान मोमिन अधिक प्रिय है यह शक्ति ईमान की भी हो और शारीरिक भी। ईमानी शक्ति के लिए अल्लाह का स्मरण और नबी सल्ल0 का अनुकरण चाहिए परन्तु शारीरिक शक्ति के लिए उचति खान

पान और उचित व्यायाम अनिवार्य है, यह बात स्पष्ट है कि इस्लाम के प्रसारण उस की सुरक्षा और जिहाद के लिए ईमानी शक्ति के साथ शारीरिक शक्ति आवश्यक है।

❖❖❖

कुर्आन की शिक्षा.....

4. विशेष रूप से इसमें हब्शा (इथोपिया) के ईसाई राजा की ओर इशारा है, मुसलमान वहां हिजरत कर गए और उसने शरण दे दी तो मक्का के मुश्रिक (बहुदेववादी) उसको भड़काने पहुंच गए, उसने मुसलमानों को बुलाया जब कुर्आन मजीद उनके सामने पढ़ा गया तो वहां मौजूद ईसाई उलमा रो पड़े और वे मुसलमान हो गए।

5. ईसाई जो धर्म में हद से बढ़ गये थे वह यह था कि वे रहबानियत (सन्यास) तक पहुंच गए थे उसको मना किया जा रहा है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं वह खाओ लेकिन हद से आगे न बढ़ो और तकवा का ख़्याल रखो बीच की राह अपनाने का निर्देश है न दुन्यावी स्वादों में बहुत ज़ियादा व्यस्तता हो और न रहबानियत अपनाते हुए हलाल चीज़ें छोड दी जाएं।

6. हलाल को आदमी कसम खा कर हराम कर लेता है इसी संबंध में कसम की किस्मों और उसके आदेश का बयान है अगर कोई हलाल को हराम कर लेता है तो कसम तोड़े और कफ़्फ़ारा अदा करे, बेकार की बातचीत के बीच जो कसमें खा ली जाती हैं उन पर कोई कफ़्फ़ारा नहीं है लेकिन जहां तक सम्भव हो कसमें न खानी चाहिए यही कसमों की रक्षा है और अगर खा लेता है तो जहां तक संभव हो पूरी करे और अगर तोड़े तो कफ़्फ़ारा अदा करे।

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

हुब्बे रब

हुब्बे रब हुब्बे नबी के साथ ही क़बूल है
मअ़रिफते रब सहीह बिना नबी इक भूल है
मअ़रिफते रब सहीह नबी ही से हमें मिली
नबी पे रहमतो सलाम जितना पढ़ो क़बूल है
लाखों दूरूद नबी पे हों लाखों सलाम नबी पे हों
बिना दूरूदो सलाम के यह ज़िन्दगी फ़ुजूल है

❖❖❖

अत्याचार

करो नहीं तुम अत्याचार महा पाप है अत्याचार
हाथ पकड़ लो ज़ालिम का न करने दो अत्याचार
बचो हाय से पीड़ित की हाय है उसकी अग्नि समान
करेगी उसको राख समान करेगा जो भी अत्याचार

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे

इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद

–हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) – अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

रिसालत (दूतता)

इन्सानियत की ख़ैर व बरकत (भलाई व बढ़ोत्तरी और सभ्यता के विकास का बुन्यादी कारणः–

नबी केवल अल्लाह की सही पहचान और इल्मुलयक़ीन (विश्वासात्मक ज्ञान) ही के केन्द्र व स्रोत नहीं हैं बल्कि इसके साथ ही वह मानव समाज को एक और बहुमूल्य दौलत भी प्रदान करते हैं जिस पर इन्सानियत की ख़ैर व बरकत और सभ्यता का निर्माण व विकास का पूरा–पूरा दारोमदार है और वह बहुमूल्य दौलत है, भलाई से महब्बत और बुराई से नफरत की पवित्रतम भावना और शिर्क की शक्तियों और उसके केन्द्र को टुकड़े–टुकड़े करने और भलाई के विस्तार व विकास के लिए त्याग की भावना, और इन्सान की तमाम तरक्कियों सरबुलन्दियों और न भुलाये जाने वाले कीर्तिमानों का असल और मूल साधन यही पवित्र भावना और संकल्प ही है क्योंकि तमाम कारक व संसाधन, साज व सामान, प्रयोग और खोज की संस्थायें मनुष्य के संकल्प और इरादे के अधीन हैं। सारे कारनामों की बुन्याद यह है कि इन्सान इरादा करे। इस भलाई का असल उद्गम हमेशा नबियों की शिक्षायें रही हैं। उन्होंने अपने अभ्युदयकाल में अपनी क़ौम व उम्मत और अपने पूरे समाज में भलाई की महब्बत और बुराई से नफ़रत की भावना को बढ़ावा दिया। सत्य का समर्थन और असत्य का विरोध उनकी तबीयत और फितरत में दाख़िल करने की कोशिश की और लम्बे इन्सानी इतिहास में जब भी यह भावना कमज़ोर पड़ी इन्सानी प्रकृति में परिवर्तन आया। उनमें असभ्यता के आसार ज़ाहिर हुए जैसा कि हम कुर्आन में बयान किये हुए अनेक क़ौमों के हालात में देखते हैं। नबियों ने तुरन्त इसका इलाज किया और संगदिली व दरिन्दगी को रहमत और शराफ़त व इन्सानियत में बदल दिया, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा का प्रसार किया, इसके लिए लगातार प्रयास किया, अपने आराम की परवाह न की, मान सम्मान का ख़्याल नहीं किया। अपने इसी निरन्तर व हृदय विदारक मेहनत व मशक्कत

के नतीजे में इन्सानियत से खाली हैवानों और फाड़ खाने वाले दरिन्दों में ऐसे नेक दिल लोग पैदा हुए जिनके व्यवहार से दुन्या महक उठी, मानवता का इतिहास गौरवान्वित हो उठा, जो प्रतिष्ठा व पराकाष्ठा में फरिश्तों से भी आगे निकल गये। इन्हीं मिसाली आत्माओं की बरकत से तबाह व बर्बाद होने वाली इन्सानियत को नया जीवन मिल गया, न्याय व इन्साफ़ का दौर हो गया। कमज़ोरों में ताक़त वालों से अपना अपना हक वसूल करने की हिम्मत व ताक़त पैदा हुई, भेड़ियों ने बकरियों की रखवाली की, फिज़ाओं में करुणा व दया की खुनकी छा गयी, प्रेम व महब्बत की खुश्बू फैल गयी, विनम्रता का बाज़ार गरम हो गया, दुन्या में जन्नत की दुकानें सज गयीं, ईमान व यक़ीन (आस्था व विश्वास की सुगन्धित हवाएं चलने लगीं, मानव आत्मायें ईर्ष्या व द्वोष की जकड़न से आज़ाद हो गयीं। दिल भलाइयों की तरफ़ ऐसे खिचने लगे जैसे चुम्बक की तरफ़ लोहे के टुकड़े।

मानव सभ्यता और उसके विकास पर इस पवित्र और पावन वर्ग के जितने एहसान हैं किसी और वर्ग के नहीं। सहृदयता और इनायतों की खुनुक व मन्द छाया इन्सानों की इज़्ज़त उनकी शराफत, उनकी संयमता उनके सन्तुलन और पूरे जीवन पर छाया हुआ है। इन्हीं इनायतों की छाया में मानव जीवन के अस्तित्व की सम्भावना है। अगर अंबिया न होते तो मानवता की नवका अपने ज्ञान, हिकमत और सभ्यता समेत तूफान की भेंट चढ़ जाती और भू–तल पर इन्सानों के बजाय जंगली जानवरों और दरिन्दों के रेवड़ कुलेलें भरते नज़र आते, जो न अपने ख़ालिक़ और रब को पहचानते, न दीन व नैतिकता से अवगत होते, न रहमत व महब्बत का एहसास रखते और न खाना–पानी या घास–चारा से ऊपर कोई बात उनके जेहन में आती।

आज दुन्या में जितने भी उच्च मानव मूल्य, नम्र एहसास, उत्तम व उच्च नैतिक शिक्षायें, सही व लाभदायक ज्ञान या असत्य से टकराने के संकल्प पाये जाते हैं, इन तमाम के इतिहास का सिलसिला वह्इ (ईश्वाणी), नबियों की शिक्षाओं, उनका प्रचार–प्रसार, उनके प्रयास और उनके सच्चे साथियों व उनके बाद के बुजुर्गों ही पर ख़त्म होता है। दुन्या (आदि काल अन्त तक) उन्हीं से लाभ उठाने पर मजबूर रही है। उन्हीं की फैलाई हुई रौशनी में क़दम बढ़ाती रही है। उन्हीं की बनाई हुई मजबूत इमारत में सर छुपाती और जीवन व्यतीत करती रही है, और रहेगी। इन पवित्र आत्माओं पर हज़ार बार सलामती हो:–

बहार अब जो दुन्या में आई हुई है,
यह सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है।

जारी.....

❖❖❖

आदर्श शासक

—मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी रह0 —अनुवादः अतहर हुसैन

दूसरे ख़लीफा
हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि0 का शासन काल के हाकिम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान का वर्णन

पद ग्रहण के पश्चातः–

बहुत दिनों तक इसी सादगी के साथ मदाइन में निवास रहा, बड़ी मुस्तैदी तथा तत्परता से जनता की सेवा करते रहे। कुछ समय पश्चात हज़रत उमर रज़ि0 ने उन्हें मदीना बुलवा भेजा। हज़रत उमर रज़ि0 को जब मालूम हुआ कि हुज़ैफ़ा रज़ि0 आने ही वाले हैं तो आगे बढ़ कर रास्ते में छिप कर एक जगह खड़े हो गए, जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि0 उनके क़रीब से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि उनकी हालत में हुकूमत तथा अधिकार के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि पूर्णतया उसी अवस्था में हैं जिस दशा में मदीना से रवाना हुए थे, तो निकल कर सामने आ गए और प्रेम पूर्वक उनसे लिपट गए और कहने लगे ''ऐ हुज़ैफ़ा तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ''।

धन दौलत से घृणाः–

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि0 को दीन–हीन बना रहना ही पसन्द था। ऐश व आराम से सदैव दूर भागते रहे। हुकूमत तथा रियासत से तबीयत को कोई लगाव न था। लोगों को नसीहत किया करते थे कि आपत्ति के स्थानों से दूर रहें। लोगों ने पूछा, हजरत! आपत्ति के स्थानों से क्या तात्पर्य है? उत्तर दिया, ''हाकिमों तथा अमीरों के दरवाज़े। लोग अमीरों के पास जाते हैं, उनके झूठ की पुष्टि करते हैं और निराधार उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें दुन्या से अपार घृणा थी। कहा करते थे कि जी चाहता है दरवाज़े बन्द करके बैठ जाऊँ और किसी से न मिलूं, यहां तक कि अपने पैदा करने वाले से जा मिलूं। नमाज़ पढ़ते तो अजीब दशा हो जाती। एक दिन किसी व्यक्ति ने देख लिया उसे चेतावनी दी कि ख़बरदार किसी को इस दशा के बारे में न बतलाना।

अन्तिम समयः–

ज़िन्दगी की आख़िरी घड़ियों में अजीब हाल था। अल्लाह तआ़ला से सम्बोधित हो कर कहते थे, ''या अल्लाह तू ख़ूब जानता है कि मैं जिन्दगी के मुक़ाबले में मौत से प्रेम करता रहा हूं, इज़्ज़त और शान के मुक़ाबले में मुझे हीनता प्रिय रही है और मैंने मालदारी तथा अमीरी के मुक़ाबले में दीनता ही पसन्द किया है।'' लोग देहान्त के समय कफन लेकर आए, पूछा, ''तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्होंने प्रस्तुत किया, अच्छा ख़ासा

क़ीमती कपड़ा था कहने लगे मेरे लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मामूली से सफ़ेद टुकड़े काफ़ी हैं, अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो अल्लाह तआ़ला इससे बढ़ कर वस्त्र पहनाएगा।

हज़रत उमर रज़ि0 इस सरल स्वभाव तथा जनसेवा की भावना से बहुत खुश होते थे। जिस फ़ौजी या मुल्की अफ़सर में यह रंग दिखाई देता तो उससे बहुत प्रेम करते थे, और किसी भी अधिकारी में ज़रा भी शान शौकत और ऐश व इशरत की झलक दिखाई देती तो बहुत नाराज़ होते थे। अतः सीरिया की यात्रा के समय जब कुछ फ़ौजी अफ़सर शानदार वस्त्र पहने हुए दिखाई दिये तो आप बहुत ख़फ़ा हुए और क्रोधित हो कर उन्हें कंकरियां फेंक कर मारी और कहा कि इस वेष भूषा में मेरे सामने आये हो? खेद है कि इतनी जल्दी तुम्हारी यह दशा हो गई।

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि0 का संयमः-

हज़रत उमर रज़ि0 ही के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध गवर्नर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि0 थे। वह ईरान के भूतपूर्व राजधानी मदाइन में नियुक्त थे। मदाइन कुछ वर्ष पूर्व ईरानी वैभव तथा प्रतिष्ठा और क्यानी ठाट-बाट का केन्द्र रह चुका था, लेकिन इस्लामी शासनकाल में इस प्रकार के दिखावे तथा शान शौकत की कहां गुंजाइश थी। यहां तो तड़क-भड़क के स्थान पर सादगी तथा सरलता ही प्रिय थी। हाकिमीयत जताने के बजाये सेवा भाव विद्यमान था। हज़रत सलमान रज़ि0 हाकिम बन कर आये थे परन्तु हर समय उन्हें अधिक से अधिक सेवा करने की चिन्ता रहती। बैतुलमाल से पांच हज़ार तनख़्वाह मुक़र्रर थी लेकिन इसमें से एक पैसा भी अपने ऊपर व्यय न करते थे बल्कि पूरा वेतन दीन दुखियों तथा अर्थिक संकट में ग्रस्त लोगों में बांट देते थे और स्वयं मेहनत मज़दूरी करके अपना काम चलाते थे। बहुधा चटाई बुनते और उसको बेच कर अपने और बाल बच्चों के खाने पीने का प्रबन्ध करते थे।

चटाई बुननाः-

उनके चटाई बुनने का हाल नोमान बिन हमीद नाम के एक साहब से सुनिए, वह कहते हैंः-

''एक दिन मैं अपने मामूँ के साथ हज़रत सलमान रज़ि0 की सेवा में उपस्थित हुआ, यह वह समय था जब हज़रत सलमान रज़ि0 मदाइन के गवर्नर थे। मैंने देखा कि वह खजूर के पत्तों की चटाई बुन रहे हैं। वार्तालाप के बीच बोले कि एक दिरहम के पत्तों में जो चटाई बुन कर तैयार होती है वह बाज़ार में तीन दिरहम में बिकती है। उसमें से एक दिरहम के फिर पत्ते ख़रीद लेता हूं। एक दिरहम में अपना और अपने बाल बच्चों

का ख़र्चा चलाता हूं और शेष एक दिरहम खुदा की राह में दान कर देता हूं।

मकानः-

बहुत समय तक अपने रहने के लिए मकान तक नहीं बनाया जहां छाया मिलती ठहर जाते। कभी धूप और वर्षा से बचने के लिए ख़ेमा लगा लेते। एक व्यक्ति ने बहुत आग्रह किया और अनुमति मांगी कि आपके लिए मकान बना दें ताकि जाड़े तथा गर्मी से बचाव हो सके। पहले तो आप बिल्कुल सहमत न हुए परन्तु बहुत आग्रह करने पर आप ने उस व्यक्ति से पूछा "कैसा मकान बनाओगे?" वह आदमी आपके स्वभाव से भली-भांति परिचित था अतः वैसा ही उत्तर दिया।

"मैं आपके लिए इतना छोटा सा मकान बनाऊँगा कि जब आप खड़ें होंगे तो छत आपके सिर से लगेगी और जिस समय लेटेंगे तो उसकी दीवारें पैरों से टकरायेंगी।"

हज़रत सलमान रज़ि0 ने ऐसा मकान बनाने की अनुमति दे दी।

विवाह की घटनाः-

हज़रत सलमान रज़ि0 को व्यर्थ की सज्जा तथा शोभा से घृणा थी। उनके विवाह की घटना इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित है। किन्दा के क़बीले में आपका विवाह हुआ। निकाह के पश्चात् जब आप बीवी के घर गये तो देखा दीवारें पर्दों से ढकी हैं। यह सजावट उन्हें बिल्कुल पसन्द न आई कि लोगों के तन ढाकने का सामान दीवारों को पहनाया जाये। कहने लगे "क्या इस घर को बुख़ार है और इसलिए कपड़े उढ़ाये गये हैं ताकि इसे हवा न लग जाये या मक्कः मुअ़ज़्ज़मः से काबः हट कर किन्दा के क़बीले में आ गया है। जहां इस पर ग़िलाफ़ चढ़ाया गया है" यह कह कर आपने आदेश दिया कि तमाम पर्दे दीवारों से अलग कर दिये जायें। जब एक एक कपड़ा उतार दिया गया और साफ़-साफ़ दीवारें दिखाई देने लगीं तो मकान के अन्दर दाख़िल हुए, केवल पर्दे के लिए दरवाज़े पर एक कपड़ा पड़ा रहने दिया। घर के अन्दर जब क़दम रखा तो देखा कि बेशुमार बहुमूल्य सामान भरा हुआ है। पूछा "यह सामान किस का है?" उत्तर दिया गया कि आप का और आपकी धर्म पत्नी का है। कहने लगे कि मेरे सर्वप्रिय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे इसकी वसीयत नहीं की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से कहा था कि दुन्या में तुम्हारे पास इतना ही सामान होना चाहिए जितना एक मुसाफ़िर के पास राह की आवश्यकताओं के लिए होता है।

❖❖❖

समय की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता ''इस्लाम का परिचय''

—हज़रत मौ0 सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0 —हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

हमारे लिए आवश्यक है कि हम गैर मुस्लिमों को इस्लाम से परिचित कराने का प्रयास करें और ऐसे किसी अवसर को हाथ से न जाने दें, जिस में उनको इस्लाम से परिचित कराया जा सके। हमारे पास सब से बड़ी शक्ति स्वाभाविक, उचित, आकर्षक तथा मन–मस्तिष्क को मोहित करने वाला धर्म (दीन), पवित्र कुर्आन जैसी चमत्कारी पुस्तक तथा अन्तिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मन मोहक तथा मनाकर्षक जीवनी तथा इस्लाम की समझ में आने वाली और व्यवहारिक तथा बुद्धि को प्रभावित करने वाली शिक्षाएं हैं, जो अगर खुले मस्तिष्क वालों तथा शुद्ध मस्तिष्क वालों के सामने प्रस्तुत की जायें तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते इसी प्रकार ऐसी इस्लामिक शिक्षाओं वाली पुस्तकें उन को पढ़ने को दी जायें और वह उनको पढ़ें तो वह इस्लाम से अवश्य प्रभावित होंगें। यही वह शिक्षाएं हैं जिन्होंने संसार के विस्तृत क्षेत्र तथा सभ्य और बुद्धिमान कौमों को अपना प्रेमी तथा प्रतिबन्धित बना लिया और देश के देश जो सैकड़ों वर्षों से अपनी सभ्यताएं दर्शन तथा शासन रखते थे वह इस्लाम स्वीकार करने वाले तथा इस्लाम के अह्वानकर्ता बन गये। यह एक कड़वा सच है कि मुसलमानों ने इस देश में इस्लाम का परिचय कराने के कर्तव्य में बड़ी कोताही की, इस का परिणाम यह है कि यहां के बहुसंख्यक वतनी भाई, प्रतिदिन पढ़ी जाने वाली नमाज़ों और कही जाने वाली अज़ानों के विषय में ऐसे प्रश्न करते हैं कि उन पर हसना नहीं अपनी कोताही पर रोना आना चाहिए। एक सज्जन पुरुष ने एक बार मुझ से पूछा कि आप लोग अज़ान और नमाज़ में बार बार अक्बर बादशाह का नाम क्यों लेते हैं मैंने उनको बताया कि अक्बर का अर्थ ''सबसे बड़ा'' है, अल्लाहु अक्बर का अर्थ है अल्लाह सबसे बड़ा है तो वह बहुत खुश हुए और बड़े खेद की बात है कि प्रतिदिन पांच समय उच्च ध्वनि से कही जाने वाली अज़ान के शब्दों के अर्थ से हम अपने वतनी भाईयों को प्रचित न करा सके हमारे वतनी भाई अज़ान व नमाज़ के साधारण शब्दों के अर्थ से भी अपरिचित हैं।

अतः इस देश में अपने वतनी भाईयों में इस्लाम का परिचय कराना समय की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसके लिए इस्लाम के परिचय के उद्देश्य से उर्दू, हिन्दी और अंग्रेज़ी में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके द्वारा वतनी भाईयों में इस्लाम का परिचय कराने का काम लिया जा सकता है।

❖❖❖

पारस्परिक सहयोग तथा उदारता, सामूहिक सफलता का मार्ग

—हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी —हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

मुसलमानों के सामूहिक जीवन की एक बड़ी आवश्यकता यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए अपने दिल में जगह और उससे व्यवहार में उदारता बरते, उससे प्रेम का व्यवहार करे, उस का जो सामूहिक तथा नैतिक अधिकार है उस को पूरा करे, अगर दो मुसलमान विचारों में सहमत हों तो प्रत्यक्ष है कि दोनों में मैत्री तथा एकत्व स्वतः पैदा होंगे, परन्तु यदि परस्पर मतभेद हो तो आवश्यकता है कि उदारता से एक दूसरे को सहन करने और एक दूसरे के सम्मान का व्यवहार किया जाये यही वह अवसर होता है जहां एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के भाई चारे के व्यवहार की परीक्षा होती है मुसलमानों को इस विषय में उस के मज़हब और उसके अख़्लाक (नैतिकता) के ज्ञान दोनों ओर से निर्देश तथा पथ प्रदर्शन मिले हैं जब कि दूसरी कौमों में केवल उनके ज्ञान तथा अध्ययन द्वारा इस नैतिकता की परीक्षा की आवश्यकता अनुभूत (महसूस) की गई है, परन्तु मुसलमान इस विशेषता के होते हुए अमल में लापरवाह हैं और उन्नतिशील कौमें अपने सामूहिक जीवन में इन नैतिकताओं अर्थात पारस्परिक सहयोग तथा उदारता को अपनाये हुए हैं, यही कारण है कि हम को उन उन्नति प्राप्त कौमों के सामूहिक जीवन में अनुशासन तथा पारस्परिक मैत्री के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं यह उनकी शक्ति तथा मौलिक सफलता का राज़ है।

इसके प्रतिकूल पूरब की प्रगतिशील कौमों विशेष कर मुसलमान देशों और उनके सामाजिक जीवनों में छिन्न भिन्नता, अव्यवस्था तथा मतभेद दिखाई देता है देखने वाला यही महसूस करेगा कि यह सब एक दूसरे के विरोधी तथा शत्रु हैं और किसी दबाव तथा विवशता के कारण इकटठा रहते हैं परन्तु उनके हृदय तथा मस्तिष्क एक दूसरे से भिन्न हैं, इसीलिए जहां चार आदमी इकट्ठा हुए और उन्होंने किसी काम के विषय में आपसी सहयोग की कोई योजना बनाई तो थोड़े ही समय में उनमें मतभेद आरम्भ हो जाता है जिस में कभी कभी खुला टकराव पैदा हो जाता है और फिर कम से कम एक दूसरे से अलगाव पर खत्म होता है यह वह रोग है जिस ने मुस्लिम समाज को बिल्कुल खोखला कर दिया है इस का एक कारण तो अपने ही मत पर चलना और स्वेच्छा चार होना है यह एक रोग की भांति पूर्वी समाज तथा मुसलमानों में फैल चुका है। दूसरा कारण अपने स्वार्थ तथा लाभों को सामूहिक तथा क़ौमी लाभों पर वरीयता देना है, जो एक प्रकार का साधरण स्वभाव

बनता जा रहा है। हर व्यक्ति अपने मत को शुद्ध ही नहीं अपितु अन्तिम सीमा तक शुद्ध समझता है, फिर उस से भिन्न मत चाहे उसके मित्र की ओर से हो अथवा उसके बराबर के साथी ही की ओर से क्यों न हो उसको ध्यान देने के योग्य नहीं समझता, इसी प्रकार किसी विषय में अगर स्वयं का लाभ हो तो उसके प्राप्ति के लिए सामूहिक नियम, नैतिक मांग तथा कौमी हित तक की अनदेखी कर देता है, यह बात जीवन के अधिक मुआमलात (व्यवहारों) में होती है, चाहे वह साधारण सांसारिक कार्य हों अथवा नैतिक, धार्मिक तथा मानवी मुआमलात हों, चाहे उसके सबब से सामूहिक एकता में बिखराव पैदा हो रहा हो, और दो मित्रों, दो एक धर्म वालों, दो एक उद्देश्य वालों में अलगाव पैदा हो रहा हो अतएव मुसलमानों की सामूहिक यूनिटें स्थापित होने के थोड़े ही दिनों पश्चात बिखराव और बिगाड़ का शिकार होने लगती है, और एक यूनिट कई यूनिटों में और एक संस्था कई संस्थाओं में बंट जाती है और फिर उसके टुकड़ों के टुकड़े होने लगते हैं।

मुसलमानों का यह सामूहिक रोग उनके अशिक्षित ही होने में नहीं पाया जाता अपितु शिक्षित लोगों में भी पाया जाता है और बुद्धि तथा ज्ञान होते हुए इसमें कमी नहीं हो रही है। यह मुसलमानों के सामूहिक जीवन के लिए बड़ी आशंका है जिस की ओर मुसलमानों के बुद्धि जीवियों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में ध्यान देना चाहिए। तथा मुस्लिम समुदाय को उसके दुष्परिणामों से बचाना चाहिए।

विशेष कर मुस्लिम समुदाय की वह इकाइयां जो राजनीति तथा राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर हालत में हैं निर्बल हैं उनको तो इस ओर बहुत ध्यान देना चाहिए उनकी जो योग्यतायें परस्पर खींचातानी में नष्ट हो रही हैं उन योग्यताओं से मिल्लत के अफराद (मुस्लिम समुदाय के लोगों) और जमाअत को असाधारण लाभ पहुंचा सकते हैं परन्तु खेद की बात है कि वह छोटी– छोटी बातों पर जो साधारण लोगों की गलती से पैदा हो जाती हैं उन पर वह अपनी योग्यतायें नष्ट कर देते हैं।

अगर मुसलमान अपने सामूहिक जीवन में परस्पर सहनशीलता को अपना लें तो ऊपर वर्णित खराबियों का बहुत कुछ सुधार हो सकता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने बराबर तथा सम्मानित केवल कथन ही से नहीं व्यवहार से भी प्रकट करें अपने भाई के हित को अपना हित समझे अगर दोनों के मतों तथा विचारों में मतभेद हो तो भले ढंग से उसका समाधान करे और उसमें आपसी टकराव की नौबत न आने दें, अगर इस का प्रयास किया जाये और इस विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी से पथ प्रदर्शन लिया जाये तो बड़ा सुधार तथा बेहतरी पैदा हो सकती है और फिर मुस्लिम समुदाय

शेष पृष्ठ....24 पर

खूब गौर कीजिए फिर ज़बान खोलिए

—मौलाना मुहम्मद तारिक नोमानी

काम की बात करने वाला इन्सान लोगों के दिलों में जगह बनाता है और अधिक बोलने वाले इन्सान से लोग दूर भागते हैं, और अधिक बोलने वाला व्यक्ति प्रायः अपनी ज़बान की तेज़ी के सबब मार खा जाता है, ज़बान की सुरक्षा करने वाले लोगों के दिलों में बस जाया करते हैं, कुछ आवश्यक बातें ज़बान के बोल पर पाठकों की सेवा में प्रस्तुत की जाती हैं।

हज़रत सहल बिन सअद रज़ि0 कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया "जो व्यक्ति मुझे अपने दोनों जबड़ों और अपनी दोनों रानों के बीच की चीज़ (अर्थात ज़बान तथा गुप्तांग) की गारन्टी दे तो मैं उसे जन्नत की गारन्टी देता हूं"।

शब्द जन्नत बड़ा सम्मानित, प्यारा तथा लोक —प्रिय शब्द है, उसे सुनते ही अजीब कैफीयत पैदा होती है (मन एक अद्भुत आनन्द अनुभूत करता है) और संसार का हर मुसलमान जिस के मन में कण भर भी ईमान का प्रकाश है वह जन्नत के प्राप्ति की आकांक्षा अवश्य करता है, उस का विश्वास है कि मरने के पश्चात उस का कोई न कोई ठिकाना अवश्य है अगर अल्लाह ने खैर के साथ (ईमान के साथ) अन्त प्रदान किया है तो वह ज़रूर जन्नती होगा, अल्लाह तआला हमें ईमान के साथ मौत दे, आमीन।

पवित्र हदीस में जन्नत के भव्य वरदान की प्राप्ति की विधि बताई गई है। उक्त हदीस में बताया गया है कि अगर कोई आदमी दो अंगों की सुरक्षा की गारन्टी दे दे तो उसे जन्नत में प्रवेश की शुभ सूचना दी जाती है, वह जो दोनों जबड़ों के बीच में है अर्थात ज़बान। दूसरी वह जो दोनों रानों के बीच में है अर्थात शर्मगाह (गुप्तांग) —हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद अर्थात ज़बान तथा शर्मगाह की सुरक्षा करने वाला इन्सान (मुसलमान) अवश्य जन्नत में जायेगा।

ज़बानः— मनुष्य के अंगों में ज़बान को बड़ा महत्व प्राप्त है अल्लाह तआला ने उसे बहुत ही साफ सुथरा बनाया है और बड़े सुरक्षित स्थान में रखा है, ज़बान दीन और दुन्या (दुन्या और उक़्बा) दोनों की सफलता का आधार है, जिस आदमी की ज़बान उसके वश में होती है वह बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर समझा जाता है, ज़बान को अल्लाह तआला ने मानवी स्तित्व में वह स्थान दिया जो किसी और अंग को नहीं दिया, इस का बोल ही मनुष्य की वास्तविकता को स्पष्ट कर देता है, ज़बान की सुरक्षा मनुष्य का दायित्व है इससे निकला हुआ बोल मनुष्य को ऊँचाई भी देता है और पतन भी।

अरब की प्रसिद्ध कहावत है, अनुवादः– "बुद्धिमान की ज़बान उसके हृदय में होती है तथा मूर्ख का हृदय उसकी ज़बान में होता है"। बुद्धिमान बोलने वाले शब्द को पहले मन तथा बुद्धि पर जांचता, परखता तथा तौलता है, फिर बोलता है, तथा मूर्ख पहले बोलता है फिर सोचता है, यही सबब है कि बुद्धिमान को अपनी बातों पर बहुत ही कम लज्जित होना पड़ता है, तथा मूर्ख की बात कभी कभार ही उचित होती है, किसी कवि ने क्या अच्छी बात कही है–

हर्फ़ हर्फ़ सोचिये, लफ़्ज़ लफ़्ज़ तौलिये
खूब गौर कीजिए फिर ज़बान खोलिये

ज़बान की मिठास से अर्थात मीठी बोली से मनुष्य बड़े से बड़ा काम सरलता से कर लेता है। कठोर से कठोर हृदय को अपनी मीठी बोली से मोह लेता है और कठिन समस्याओं का सरलता से समाधान कर लेता है, शत्रुओं के हृदयों को जीतना कोमल बोलों तथा मीठे बोलों से बड़ा सरल होता है, इसलिए कि बात चीत की कोमलता कठोर मनों को मोहने में मधु का काम करती है, बोली का कोमल तथा मीठा होना वास्तव में अल्लाह का बड़ा वरदान तथा पुरस्कार है जैसा कि खुद अल्लाह तआला का इरशाद है, अनुवादः *"ऐ नबी! यह अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आप उनके हक़ में नर्मदिल (कोमल हृदय) वाक़ेअ हुए हैं और अगर कहीं आप तुंदख़ू (कठोर स्वभाव वाले) और सख़्त दिल (कठोर हृदय) होते तो यह लोग कभी के आप के पास से चले जा चुके होते।"*

(आले इमरानः 159)

आयत में यद्यपि दिल की नर्मी को रहमत (दया) बताया गया है मगर चूंकि दिल की बात ज़बान कहती है, इसलिए दिल की नर्मी के साथ ज़बान का मीठा होना भी यक़ीनन अल्लाह की बड़ी रहमत है, अतएव एक रिवायत में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया *"बहुत बुरा है वह आदमी जिसकी गन्दी ज़बान के सबब लोग उससे मिलना छोड़ दें" अर्थात जिस आदमी की ज़बान में नर्मी नहीं वह बहुत बुरा आदमी है। (मिश्कात)*

मीठी तथा नर्म बोली से जिस प्रकार कठोर हृदय आदमी को अपना चहेता तथा प्रिय बना लेना बड़ा सरल है, इसी प्रकार कड़वी बोली से दूसरों को कष्ट पहुंचाना और अपने से दूर करना होता है बोली का शुद्ध करना तथा ज़बान को मीठा और नर्म बनाना वास्तव में ईमान को पूर्ण करना भी है।

अतएव नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक रिवायत में फरमाया "भला और सम्पूर्ण ईमान वाला

मुसलमान वह है जिस की ज़बान और हाथ से किसी का दिल न दुखे'' बैठे बैठे ज़बान से किसी का दिल दुखा देना बड़ा सरल है, जबान यदि शुद्ध है तो शरीर के सारे अंग शुद्ध होंगे, परन्तु यदि ज़बान (बोली) बिगड़ जाये, कड़वी हो जाये तो उसका कुपरिणाम शरीर के सभी अंगों को भुगतना पड़ता है।

ध्यान दीजिए! यदि शरीर के सारे अंग शुद्ध हों परन्तु खुदा न करे ऐसा हो कि मरते समय आदमी की ज़बान से कुफ्र की बात निकल जाये तो पूरे शरीर को उस की सजा मिलेगी। इसी प्रकार अगर किसी कुस्वाभाव, कटुभाषी में तर्क वितर्क में अशुद्ध शब्द बोल दिया तो उसका दुष्परिणाम शरीर के हर अंग को भुगतना पड़ता है, बल्कि कभी कभी तो कड़वी बोली सदैव के अलगाव का कारण बन जाती है तथा बोलने वाला सदैव अफसोस करता रहता है और दुख झेलता रहता है, जैसे क्रोध की दशा में विवश हो कर अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दीं और अब आगे हाय अफ्सोस कहता हुआ अफ्सोस का हाथ मलता रहता है और जिन्दगी भर दिल का यह दुख दूर नहीं हो पाता, ऐसे ही अवसर पर अरबी के प्रसिद्ध कवि ने क्या अच्छी बात कही है अनुवादः—

भरा ज़ख़्म था जो भी तलवार का
मिटा न असर जह्र गुफ़्तार का

यानी छुरी का तीर का तलवार का ज़ख़्म तो भर जाता है लेकिन ज़बान का ज़ख़्म नहीं भरता।

इसीलिए हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि0 अपनी ज़बान को मरोड़ दिया करते और फरमाया करते कि अगर तू ठीक है तो सब ठीक और अगर तू बिगड़ गई तो दुन्या व आखिरत सब बरबाद, बसा औक़ात इन्सान जज़्बात में कोई जुम्ला बोलता है, भावनाओं से विवश हो कर कोई कटु शब्द बोलता है जिसे वह हल्का समझता है जब कि वह उस बोल के सबब अपना ईमान खो बैठता है, अतः हर आदमी को बोलने से पहले खूब गौर कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि क्या कहना है? कब कहना या फिर खामोश रहे। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''मुसलमान अगर बोले तो अच्छे बोल बोले या फिर चुप रहे (इसी में भलाई है)

(सहीह मुस्लिम)।

बोलने में भलाई तब होती है जब मनुष्य भलाई के

लिए ज़बान खोले एक मीठे बोल से अनेक लोग बोलने वाले के चहीते तथा प्रेमी बन जाते हैं इसीलिए सच ही कहा कहने वाले ने कि ज़बान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और ज़बान की कड़वाहट दोस्त को भी दुश्मन बना देती है। अतः ज़बान को अपने क़ाबू में रखना चाहिए यदि हम अपनी मीठी बोली से दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे तो हम को भी राहत मिलेगी, ज़बान एक वरदान है, अतः हमें चाहिए कि इसको वरदान ही बनाये रखें, थोड़ी सी गलती पर भी यह ज़बान ज़हमत बन जाती है। और ऐसे कुप्रभाव छोड़ जाती है कि वह वर्षों समाप्त नहीं होते, अल्लाह तआला हमारी ज़बान को लाभदायक बनाये, आमीन।

❖❖❖

पारस्परिक सहयोग.....

उन्नति ही नहीं करेगा अपितु उस का यश तथा उस की अच्छी ख्याति भी होगी, तथा मिल्लत की उन्नति तथा उसकी ख्याति का लाभ मिल्लत के लोगों को ही पहुंचेगा।

गज़वए उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने अस्हाब से परामर्श किया कि मदीना में रह कर दुश्मन से मुकाबला किया जाये, या मदीने से निकल कर दुश्मन को बाहर ही से रोका जाये और पराजय दी जाये तो विभिन्न मत आये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने मत को उपेक्षित करते हुए अपने अस्हाब के मतों को मानते हुए मदीने से बाहर निकल कर मुकाबला करने को मान लिया और तैयारी पूरी कर ली, कुछ का विचार था कि मदीने में रह कर ही मुकाबला किया जाये, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि एक राय तै कर लेने के पश्चात उस का बदलना उचित नहीं अब यही राय ठीक है।

दूसरे कई अवसरों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी राय पर अपने सहाबा की राय को वरीयता दी है, लेकिन जब वह्ये इलाही से या अपने आन्तरिक विश्वास तथा अल्लाह पर भरोसे से कोई निर्णय लिया तो उसमें चाहे तमाम सहाबा विभिन्न राय रखते हों आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी राय ही पर अमल फरमाया जिस का उदाहरण "हुदैबिया" की संधि है।

सामूहिक जीवन पारस्प–रिक सहयोग तथा उदारता ही से चलता है कि यदि हम दूसरे की बात अथवा विचार को स्वीकार न कर सकें तो उसका विरोध भी न करने लगें। अपितु जहां तक संभव हो मित्रता तथा सहयोग के वातावरण को बाकी रखें इससे सामूहिक एकता तथा एकत्व बाकी रहता है तथा मिल्लत (समुदाय) सफलता के मार्ग पर चलती है। ◆◇◆

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः अगर मियां बीवी में इख्तिलाफ हो जाए और दोनों एक साथ रहने पर राज़ी न हों तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसी सूरत में तलाक़ दे सकते हैं?

उत्तरः तलाक़ शरीअ़ते इस्लामी में एक ना पसन्दीदा चीज़ है, जिस को मजबूरी की हालत में जब कि शरई हुदूद पर काइम रहना दुशवार हो इजाज़त दी गई है। किसी उज़्र शरई और माकूल सबब के बग़ैर इख्तिलाफ या गुस्से की हालत में तलाक़ देना दुरुस्त नहीं है जब मियां बीवी के बीच किसी सबब से इख्तिलाफ हो जाए तो कुर्आन के मुताबिक़ शौहर को हुक्म है कि वह पहले समझाने बुझाने की बात करे इससे काम न बने तो कुछ दिनों के लिए बिस्तर अलग कर ले अगर इसके बावजूद भी इस्लाह न हो सके तो मामूली सज़ा से काम ले अगर यह तदबीर भी कारगर न हो तो दोनों खान्दानों के दो समझदार आदमियों को फरीक़ैन का हकम बना दें, वह हजराते हकम दोनों की बातें सुन कर सुल्ह करा दें अगर सारी तदबीरें नाकाम हो जाएं तो एक तलाक़ दे कर अलाहेदगी इख्तियार की जा सकती है।

(सूरे निसाः 35)

प्रश्नः ज़ैद अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है, और इस नीयत से अपनी बीवी को इत्तिला दिये बगैर खुद से अहद करके महीनो दूर रहा और इजदिवाज़ी ताअल्लुकात काइम नहीं किये तो क्या सिर्फ नीयत व इरादे से तलाक़ वाकेअ़ हो जाएगी?

उत्तरः तलाक़ ऐसी चीज़ है जिसके वजूद के लिए सिर्फ दिल का इरादा काफी नहीं बल्कि तलाक़ का ज़बान से या तहरीर के ज़रिये इज़हार करना और बीवी की तरफ़ निस्बत करना ज़रूरी है लिहाजा मज़कूरा सूरत में अगर शौहर गुस्से में महीनों दूर रहा तो उससे तलाक़ वाकेअ़ न होगी।

(विदाये सनाअ़ 5/254)

प्रश्नः मेरा काम कम्प्यूटर टाइप का है। कभी मैं तलाक़ वगैरा के मज़ामीन टाइप करता हूं काम करते वक़्त मैं उसको पढ़ूं और मेरी बीवी सुन ले तो क्या इससे तलाक़ वाक़ेअ हो जाएगी?

उत्तरः तलाक़ वाक़ेअ़ होने के लिए सिर्फ लफ़्ज़ तलाक़ लिख देना या ज़बान से पढ़ देना काफी नहीं बल्कि बीवी की तरफ निस्बत करना ज़रूरी है, फुक़हा ने ज़बान या तहरीर से निस्बत ज़ाहिर करने की तीन सूरतें बयान की हैं, बीवी का नाम ले या इशारा करे या मुखातब करे तो तलाक़ वाकेअ़ हो जाती है, अगर आपने बीवी की तरफ़ तलाक़ की निस्बत नहीं की है तो तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी। (रद्दुल मुहतार)

प्रश्नः अगर कोई शख़्स ज़बान पर कुदरत रखने के बावजूद बगैर किसी मजबूरी के बीवी को तलाक़ तहरीरी तौर पर लिख दे और बीवी सामने मौजूद हो तो क्या इससे तलाक़ हो जाएगी?

उत्तरः ज़बान पर कुदरत रखने के बावजूद किसी मजबूरी के सबब अगर कोई शख्स बीवी को तहरीरी तौर पर लिख कर तलाक़ दे जब कि बीवी सामने मौजूद हो तो तलाक़ वाक़ेअ़ नहीं होगी, फुकहा ने लिखा है कि तहरीर ब वक़्त ज़रूरत ही तकल्लुम की क़ाइम मुकाम होती है लिहाज़ा जब बिलमुशाफा तलाक़ दी जा सकती है तो सिर्फ लिखने से तलाक़ वाकेअ़ न होगी।

प्रश्नः अगर कोई शख्स गुस्से की हालत में बीवी को तलाक़ देदे तो क्या तलाक़ वाकेअ़ हो जाएगी?

उत्तरः बिला वजह गुस्से की हालत में तलाक़ देना इस्लामी शरीअ़त में मना है लेकिन अगर कोई ऐसे गुस्से में तलाक़ दे कि उसके अक़्ल शऊर बाकी हो तो तलाक़ वाकेअ़ हो जाती है और अगर गुस्सा जुनून की हद तक पहुंच जाए कि अक़्ल व शऊर बाकी न रहे और न उसे पता हो कि वह क्या कह रहा है तो इस हालत में तलाक़ वाक़ेअ़ नहीं होगी।

(रद्दुल मुहतारः 4/452)

प्रश्नः कुछ लोग समझते हैं कि तलाक़ अदालत में बोलने ही से होती है घर में तलाक़ बोलने से तलाक़ नहीं होती है क्या यह सोच सहीह है?

उत्तरः इस्लामी शरीअ़त में तलाक़ का इख़्तियार मर्द को दिया गया है वह तलाक़ वाक़ेअ़ करने के लिए अदालत का मुहताज नहीं है इसलिए घर में तलाक़ देने से भी तलाक़ काइम हो जाती है हां अगर औरत मर्द के जुल्म की वजह से तलाक़ लेना चाहे और शौहर तलाक़ देने पर तैयार न हो तो चूंकि औरत को तलाक़ देने का इख़्तियार नहीं दिया गया है इसलिए वह काज़ी के जरिए ही अपना निकाह फस्ख करा सकती है।

प्रश्नः अगर कोई शख्स नशे की हालत में तलाक़ दे दे तो क्या तलाक़ हो जायेगी?

उत्तरः नशा अगर दवा या किसी नामालूम नशा लाने वाली चीज़ों के इस्तेमाल से पैदा हो या जबरदस्ती नशा लाने वाली चीज़ों के खिलाने से नशा पैदा हो गया तो इन सूरतों में तलाक़ देने से तलाक़ नहीं होती है, लेकिन अगर कोई लज़्ज़त व सुरूर (आनन्द) के लिए नशा लाने वाली चीज़ इस्तेमाल कर ले और नशे की हालत में तलाक़ देदे तो तलाक़ पड़ जायेगी।

(रद्दुल मुहतार 4/429)

प्रश्नः जब शराब पी कर नशे की हालत में पढ़ी गई नमाज़ नहीं होती और नशे की हालत में दी गई गवाही क़बूल नहीं होती तो शराब के नशे में दी गई तलाक़ क्यों हो जाती है?

उत्तरः जो फुक़हा हज़रात नशे की हालत में दी गई तलाक़ को तलाक़ मानते हैं दर अस्ल उन का नुक–तए–

नज़र यह है कि मर्द के लिए शराब पीना एक तरह का काबिले सज़ा जुर्म है यही वजह है कि अगर किसी मुबाह मशरूब (जाइज़ पीने वाली चीज़) से नशा पैदा हो गया या दवा के तौर पर नशे की चीज़ इस्तेमाल की गई और उससे नशा हो गया या जबरदस्ती नशे वाली चीज़ उस को खिला या पिला दी गई और उससे नशा हो गया इन हालतों में मजबूरी या हाजत की बिना पर उसके लिए वह नशा वाली चीज़ें उसके लिए हराम न थीं और उस वजह से उसकी नशे की चीज़ इस्तेमाल करने पर सजा न मिलेगी इसलिए उस नशे की हालत में दी गई तलाक़ भी वाकेअ़ न होगी।

(रद्दुलमुहतार 4/492)

लेकिन अगर सुरूर के लिए शराब पी और नशे की हालत में तलाक़ दी तो तलाक़ हो जायेगी।

प्रश्नः निकाह के वक़्त लड़की वालों की तरफ से खाने की दावत का नज़्म किया जाता है क्या ऐसा करना सुन्नत से साबित है?

उत्तरः निकाह में मस्नून दावते वलीमा है जो शौहर को करनी होती है लेकिन निकाह के मौक़े पर बगैर किसी दबाव के लड़की वालों की तरफ़ से दावत की गुंजाइश है मस्नून नहीं है।

प्रश्नः एक शख्स का निकाह दो साल पहले हुआ लेकिन उसे पता नहीं कि हक्के महर क्या चीज़ है? उसने अपना महर न दिया न महर मुतअ़य्यन किया, अब उसको मालूम हुआ कि महर बीवी का वाजिबी हक़ है जो देना जरूरी है, अब वह क्या करे?

उत्तरः इस सूरत में मालूम किया जाये कि निकाह के वक़्त कितना महर मुकर्रर किया गया था वही अदा किया जायेगा वरना बीवी के खान्दान की औरतों का जो महर हो वही महर दिया जायेगा। मसलन लड़की (बीवी) की बहनों और फूफियों का जो महर होगा वही महर इस शौहर को भी अदा करना ज़रूरी होगा।

(हिदायाः 2/313)

प्रश्नः अगर किस शख्स ने मोबाइल से एस.एम.एस. के ज़रिये अपनी बीवी को तलाक़ दी और एतिराफ भी कर रहा है कि मैंने एस.एम. एस. में तलाक़ लिखा है, बीवी कहती है कि मैंने एस. एम.एस. नहीं पढ़ा है, इसलिए तलाक़ नहीं हुई, शरीअते इस्लामी इस बारे में क्या कहती है? क्या मोबाइल के ज़रिये तलाक़ एस.एम. एस. करने से तलाक़ हो गई या नहीं?

उत्तरः जब शौहर ने बजरिये मोबाईल तलाक़ लिख कर बीवी को एस.एम. एस. किया है और उसे इस का एतिराफ भी है तो इस सूरत में तलाक़ वाक़ेअ़ हो गई है। ख्वाह बीवी ने एस. एम.एस. पढ़ा हो या नहीं, याद रहे कि बजरिये मोबाइल ज़बान से बोल कर या एस.एम.एस. के अगर तलाक़ दी जाये तो तलाक़ हो जाती है।

(रद्दुल मुहतारः 4/454)

प्रश्नः शौहर तालक़ देना नहीं चाहता लेकिन बीवी फिर भी तलाक़ चाहती है, बात न बनने पर बीवी के घर

वालों ने एक तलाक़ नामा तैयार कराया और धमका कर जबरदस्ती शौहर से तलाक़ नामा पर दस्तखत करवा लिया, क्या इस तरीक़े से तलाक़ वाके हो जाती है?

उत्तरः जबरदस्ती तलाक़ नामा पर शौहर से सिर्फ दस्तखत करवा लेने से तलाक़ वाके नहीं होती है, तहरीरी तौर पर दूसरे के लिखे हुए तलाक़ नामे पर जरूरी है शौहर ने रजामन्दी से दस्तखत किया हो।

(रद्दुल मुहतारः 4/440)

प्रश्नः फतेह मक्का के वक़्त जो लोग ईमान लाये और जिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "अन्तुम–तुलका" कहा वह सहाबी हैं या नहीं?

उत्तरः फत्हे मक्का के वक़्त जो हज़रात ईमान लाये और ब हालते ईमान उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दीदार किया वह भी सहाबी कहलाएंगे, अल्लाह तआला ने फत्हे मक्का से पहले और फत्हे मक्का के बाद ईमान लाने वाले तमाम हज़रात का तफ़्ज़ीले दरजात के बावजूद एक ही ज़िम्न में जिक्र किया है। अल्लाह तआला का इरशाद है।

तर्जुमाः– "तुम में जो लोग फत्ह (फत्हे मक्का) के कब्ल ही खर्च कर चुके और लड़ चुके (व उनके बराबर नहीं जो बादे फत्ह लड़े और खर्च किया) वह लोग दर्जे में बढ़े हुये हैं। उन लोगों से जिन्होंने बाद को खर्च किया और लड़े, और अल्लाह ने भलाई का वादा तो सब ही से कर रखा है"।

(अल हदीदः 10)

दूसरी जगह फरमाया

तर्जुमाः "और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने हिजरत की और जिहाद भी किया अल्लाह तआला की राह में और जिन लोगों ने उन्हें रहने को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग तो पूरे पूरे मोमिन हैं, उनके लिए मग़फिरत और मुअ़ज़्ज़ज़ रोज़ी है, और जो लोग ईमान लाये बाद में और हिजरत भी की और जिहाद भी तुम लोगों के साथ मिल कर किया सो यह लोग भी तुम्हीं में शामिल हैं"।

(अल–अन्फालः 74,75)

हज़रत हकीम बिन हिज़ाम हज़रत अबू सुफ्यान बिन हारिस, हज़रत अबू सुफ्यान बिन हर्ब, हज़रत इकरमा बिन अबी जहल, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ्यान और हिनदा बिन्त उत्बा यह सब फत्हे मक्का के वक़्त इस्लाम लाये और बिल इत्तिफाक़ जम्हूरे उम्मत यह सब सहाबी हैं। तफ़्सीर कुरतुबी में है कि उलमाए हदीस के नज़दीक हर वह मुसलमान जिसने रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ईमान की हालत में देखा वह सहाबी है।

(अल जामेअ़ लिअहकामिल कुर्आन लिलकुर्तबी 8/204)

इमाम बुखारी रह0 अपनी जामेअ़ सहीह में फरमाते हैं जो नबी की सुहबत में रहा या ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा वह सहाबी है।

❖❖❖

अभिमान (तकब्बुर) की पहचान

—हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करिया काँधिलवी रह0

—हिन्दी संक्षेपः हुसैन अहमद

अभिमान (तकब्बुर):–

अपने आप को दूसरों से बढ़ कर जानना और दूसरों को घटिया और नीच समझना अभिमान कहलाता है।

अभिमान मनुष्य के लिए बहुत ही बुरा अवगुण है। हदीस में अभिमान की व्याख्या इस प्रकार आई है। अनुवादः ''सत्य को नकारना तथा दूसरों को नीच समझना''।

(रियाज़ुस्सालिहीन)

जिस प्रकार पागल अपने को पागल नहीं समझता अपितु दूसरों को पागल समझता है उसी प्रकार एक अभिमानी अपनी बुद्धि में अपने को ऊँचा नहीं समझता परन्तु दूसरों को नीच तथा तुच्छ समझता है।

पागल तो अपने को पागल नहीं समझता इसलिए कि पागलपन के रोग के सबब वह अपने रोब को नहीं समझ पाता परन्तु अभिमानी की बुद्धि तो शुद्ध होती है। अतः उसके अभिमान का अवगुण क्षमा योग्य नहीं है।

मनुष्य के लिए अभिमान का अवगुण दूर करना अति आवश्यक है परन्तु वह अपने अभिमान को समझ ही नहीं पाता तो उसको दूर कैसे करे जब कि अभिमान को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य से कहता है ''क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं?'' इस वाक्य से अभिमान प्रकट होता है, बोली वाणी तथा चाल ढाल से भी अभिमान को पहचाना जा सकता है मनुष्य को चाहिए कि अभिमान को पहचान कर उस के उपचार की चिन्ता करे इस लिए कि अभिमान मनुष्य को विनष्ट कर देने वाला अवगुण है।

अभिमान के कुछ चिन्ह यह हैं:–

1. अभिमानी को अपनी राय अथवा विश्वास के मुकाबले में सत्य बात स्वीकार करने में उसको घृणा होती है।

2. अभिमानी दूसरों के विचारों, आस्थाओं यहां तक उनके पहनावों को घटिया समझने लगता है।

3. अभिमानी शरई जरूरत के बगैर भी दूसरों की बुराई या अवगुण की बात बयान करता है या रुचि के साथ सुनता है, कभी कभी जाहिर में कह भी देता है कि गीबत (परोक्ष निन्दा) मत करो मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन अन्दर से उसका सुनना उस को अच्छा लगता है।

4. नम्रता (तवाज़ोअ़) का कोई काम करके यह समझना कि मैंने तवाज़ोअ़ अपनाया है। यह भी अभिमान की एक पहचान है इसलिए कि विनम्र (मुतावज़ेअ़) को अपनी नम्रता की ओर ध्यान भी नहीं जाता अभिमानी नम्रता का काम करके यह सोचता है कि मैं तो बड़ा आदमी हूं यह

काम मैंने नम्रता अपनाने के लिए अपने से घट कर किया है। यही तो अभिमान है।

5. अपनी ख्याति के साधनों को अपनाने वाला और गुमनामी से बचने वाला तथा अपने उच्च सम्मान की चिन्ता रखने वाला भी अभिमानी है। अपने उपचार के लिए एक अभिमानी को इस पहचान को पहचानना कठिन है।

6. अपने साथ विशिष्ट व्यवहार चाहने वाला, अगर उसके साथ विशिष्ट व्यवहार नहीं किया जाता तो उसको बुरा लगता है यह भी अभिमान की एक पहचान है।

7. वह सूफ़ी (साधक) जो अपने गुरु से प्रतिनिद्धित्व (खिलाफत) की इच्छा रखता है वह भी अभिमानी है।

8. अपनी दीनदारी के लिहाज़ से छोटी छोटी बातों में पाक नापाक, हलाल व हराम (पवित्र अपवित्र, वैध अवैध) का शोर करना, फर्ज़ कामों से गाफिल रहते हुए मुस्तहब कामों में ज़ोर शोर करना भी एक प्रकार का अभिमान है।

''इक्माल'' में लिखा है कि ''वाजिबात की अदायगी में सुस्ती और नफ़्ली इबादत में तेज़ी दिखाना नफ़्स के पीछे चलने की पहचान है''।

9. नफ़्ल कामों में तेज़ी दिखाना और वाजिब कामों में सुस्ती करना जैसे जिक्र और मुराकबे में बहुत ज़ियादा लगना यहां तक कि रात का ज़ियादा हिस्सा उसमें लगा देना और फज्र की नमाज़ के वक़्त सोते रहना या जमाअत से नमाज़ न पढ़ना छूटी हुई फर्ज़ नमाज़ों की अदायगी और न दी हुई ज़कात की अदायगी में सुस्ती करना। दूसरों को वाज व नसीहत करना और खुद की इस्लाह में गफ़लत करना।

बाज़ उलमा जो शुहरत हासिल कर लेते हैं उनसे अगर नमाज़, रोज़ा या हज से मुतअल्लिक़ कोई मसअला पूछा जाये तो चाहे उस का जवाब याद न हो कुछ जवाब दे देते हैं यह नहीं कहते कि इसका जवाब मुझे याद नहीं या मालूम नहीं यह भी एक किस्म का तकब्बुर है।

इस भौतिक काल में अभिमान (तकब्बुर) की बुराई पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं लेकिन एक मुसलमान के लिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस लिए कि हो सकता है की तकब्बुर वाले कि दुन्या अच्छी गुज़र जाये लेकिन आखिरत में वह सख़्त घाटे में रहेगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि ऊपर तकब्बुर की जो पहचानें लिखी गई हैं उनके जरिये अपने को पहचानें और किसी कामिल शैख (दक्ष गुरु) के ज़रिये अपना इलाज कराये। ताकि अल्लाह तआला आखिरत की ज़िन्दगी में घाटे से बचाये अस्ल ज़िन्दगी तो आखिरत की ज़िन्दगी है यह दुन्या तो चार दिन की है।

ह़ज़रत शैख रह0 का यह लेख तामीरे हयात 10 नवम्बर 2018 में छपा था हम ने उसको संक्षेप के साथ हिन्दी में इस प्रकार लिखा की उसकी सभी आवश्यक बातें आ गईं, जो विस्तार से पढ़ना चाहे तामीरे हयात में पढ़े।

(अनुवादक) ◆◇◆

हमारे व्यवहार तथा आचरण उचित होने चाहिए

—हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—हिन्दी लिपिः हुसैन अहमद

हम लोग जिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं और जिस स्थान पर रह रहे हैं जिस देश में रह रहे हैं, हम को समझना चाहिए कि हम इस देश में अल्पसंख्यक (अकल्लीयत) हैं अगर हमने मानवता के गुणों को अपनाया और इस्लाम से अपरिचित लोगों को परिचित कराने में सकारात्मक विधि अपनाई और जो भ्रांतियां मुसलमानों के विषय में फैला दी गई हैं हम ने उन को दूर करने का प्रयास किया तो वतनी भाईयों की दुर्भावनायें दूर होंगी और यहां हम को समाज सुधारण के काम का अच्छा अवसर मिलेगा, अतः हम को प्रयास करना चाहिए कि हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हमारे वतनी भाई हम से प्रेम करने लगें, शासन आते जाते रहते हैं उन के आने जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता बस हमारे स्वभाव और हमारे आचरण ठीक होने चाहिए, उचित होने चाहिए, हम अपने कर्मों तथा स्वभाव से सिद्ध करें कि हम अपने देश के लिए उपयोगी हैं, हम शासन से मुसलमानों के लिए वही मांग करते हैं जिस का संविधान में हम मुसलमानों को अधिकार दिया गया है। हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारी उन्नति में बाधा न डाली जाए। देश की बीस करोड़ जनता का भाग्य यदि व्यर्थ तथा अनुपयोगी हो जाएगा तो उसका भार शासन ही पर पड़ेगा आज हमारे स्वभाव को तथा इस्लामिक शिक्षाओं को बिगाड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, भ्रांतियां तथा दुर्भावनाएं फैलाई जा रही हैं, अगर हम अपने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी के सांचे में ढालेंगे और जो आदर्श उदाहरण आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने प्रस्तुत किया था उसका चलता फिरता रूप हम लोग बनेंगे तो लोग हमारे आचरणों से प्रभावित होंगे और इस्लाम से करीब होंगे। इस प्रकार उन के हृदय में मुसलमानों के लिए प्रेम पैदा होगा जैसा कि अरब व्यापारियों के स्वभाव और आचरणों से प्रभावित हो कर अनेक लोग इस्लाम के मित्र बन गये थे और बहुतों ने तो इस्लाम स्वीकार कर लिया था।

दावते इरतिदाद का मुक़ाबला

धर्म परित्याग के आवाह्न का मुक़ाबला

—मौलाना सय्यिद मुहम्मद हमज़ा हसनी नदवी

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

आज कल पूरे भारत में यह अभियान चलाया जा रहा है कि मुसलमान अपने इस्लामी कानून को छोड़ कर धर्म विरोधी जनों के तैयार किये हुए नियमों को अपना लें, ताकि मुसलमान का नाम तो बाक़ी रहे, मुसलमान मुसलमान तो कहलाएं परन्तु उनमें इस्लामिक आचरण और इस्लामी काम बाकी न रहें, अर्थात मुसलमानों और अनेकश्वरवादियों तथा नास्तिकों में कोई अन्तर न रहे।

समाचार पत्रों से ले कर संसद भवन तक में इस्लामी शरीअत को बदलने का अभियान पूरी शक्ति से चलाया जा रहा है, इस समय हमारा यह दीनी फरीज़ा (कर्तव्य) है कि हम ऐसे इस्लाम दुशमनों को डंके की चोट बता दें कि जब तक हमारे शरीरों में प्राण हैं उस समय तक उन का यह स्वप्न पूरा न होगा, और दीन व शरीअत की सुरक्षा के लिए हम अपने प्राण, अपना माल और अपनी संतान भेंट चढ़ाने को तैयार हैं, अतः यदि शरीअत में परिवर्तन पर हम चुप रहें या खुदा न करे हम उस पर राज़ी हो गये तो फिर वह हमारे दीन का आखिरी दिन होगा, और हम इस्लाम से वंचित हो जाएंगे परिणाम स्वरूप आख़िरत का अज़ाब (दण्ड) हमारा मुक़द्दर होगा।

हज़रत मौलाना सय्यिद अबुल हसन अली नदवी रह0 सद्र (अध्यक्ष) आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने इस मसअले पर रोशनी डालते हुए फरमाया थाः "मुसलमान अगर मुस्लिम पर्सनल ला (शरई कानून) में तब्दीली क़बूल कर लेंगे तो आधे मुसलमान रह जाएंगे। और उसके बाद खतरा है कि आधे भी न रहें। मज़हब को अपने मख्सूस निज़ामे मुआशरत व तहज़ीब से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों का ऐसा फितरी तअ़ल्लुक़ और राबिता है कि मुआशरत, मज़हब के बगैर सहीह नहीं रह सकती और मज़हब मुआशरत के बगैर मुअस्सिर व महफूज़ नहीं रह सकता, इसका नतीजा यह होगा कि मस्जिद में आप मुसलमान रहें और घर में मुसलमान नहीं। अपने मुआमलात में मुसलमान नहीं, इसलिए हम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते कि हमारे ऊपर दूसरा निज़ामे मुआशरत, निज़ामे तमद्दुन और आइली क़ानून मुसल्लत किया जाए, हम उसको इरतिदाद (धर्म त्याग) समझते हैं, हम उसका इस तरह मुक़ाबला करेंगे जैसा दावते इरतिदाद (धर्म त्याग आवाह्न) का मुक़ाबला करना चाहिए"।

❖❖❖

हम कौन हैं?

—इदारा

भारत वासी मुस्लिम हैं हम – ख़ल्क़े खुदा के ख़ादिम हैं हम
एक खुदा के हम हैं पुजारी – गैर की पूजा शिर्क है भारी
नमस्कार बस रब को करते – और किसी को नहीं हैं करते
नमस्कार सूरज को करना – साथ खुदा के शिर्क है करना
सूरज तो बन्दा है खुदा का – सूरज रब को सज्दे करता
एक खुदा माबूद हमारा – फ़क़त वही मस्जूद हमारा
नबी मुहम्मद रहमते आलम – सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम
उन्हीं से हम को दीन मिला है – उनका दरज़ा बहुत बड़ा है
रब ने उतारा उन पर कुर्आं – दीन का मंबा है यह कुर्आं
पाँच वक़्त हम अज़ाँ हैं कहते – मस्जिद में हम अजां हैं कहते
पाँच वक़्त नमाज़ें पढ़ते – अपने रब की इबादत करते
पढ़ते नमाज़ें मस्जिद में हम – करते जमाअत मस्जिद में हम
मस्जिद बनाना हक है हमारा – उसमें इबादत हक़ है हमारा
जिसने कहा है इसके ख़िलाफ़ – नहीं किया उसने इन्साफ़
हम हैं खाते गोश्त हलाल – करे न कोई हम से मलाल
हिन्दू भी हैं मांसा हारी – कुछ हिन्दू हैं शाकाहारी
क्षत्री सारे गोश्त हैं खाते – कुछ यादव हैं अण्डा खाते
पासी सारे गोश्त हैं खाते – कोरी सारे गोश्त हैं खाते
द्राविड़ सारे गोश्त हैं खाते – कोल भील सब गोश्त हैं खाते
जो हिन्दू हैं मछली खाते – वह भी तो हैं गोश्त ही खाते
गोश्त हैं खाते जो रैदास – करे हुकूमत उन का पास
गोश्त ख़ोर जो गोश्त हैं खाते – दाल और सब्जी वह हैं बचाते
अम्नों सुकूं के हम आवाहक – मानवता के हम आवाहक
स्वच्छता के हम आवाहक – शुद्ध योगा के हम आवाहक
अत्याचार मिटाने वाले – भ्रष्टाचार मिटाने वाले
जड़ता जड़ से मिटाने वाले – ज्ञान के हम फैलाने वाले
खुदा हमारी मदद करेगा – कदम कदम पर सफल करेगा
भारत प्यारा जिन्दाबाद – हिन्द हमारा जिन्दाबाद

—पिछले अंक से आगे

इस्लामी कल्याणकारी व्यवस्थाएं

—मौलाना सय्यिद जलालुद्दीन उमरी

किसी बेकार पड़ी हुई ज़मीन को जो व्यक्ति अपने परिश्रम से उपजाऊ बनाए तो उसका लाभ मूलतः उसे और उसके परिवार को पहुंचता है, क्योंकि यह परिश्रम एक जाइज़ उद्देश्य के लिए किया जाता हैं अतः वह अज्र और सवाब का अधिकारी है। इसी के साथ यह भी बता दिया कि इससे कोई जीवधारी जो भी फ़ायदा उठाता है वह उसकी ओर से सदक़ा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस परिश्रम से इन्सानों और पूरे समाज को जो लाभ पहुंचेगा उसका कितना बड़ा अज्र होगा।

वर्तमान कल्याणकारी राज्य बेकार पड़ी हुई ज़मीनों को खेती के योग्य बनाने में सहूलतें देते हैं। इस्लाम ने इससे आगे बढ़ कर और डेढ़ हज़ार वर्ष पूर्व ही यह प्रयास किया कि जो व्यक्ति इस प्रकार की ज़मीन को कृषि योग्य बनाए उसे उस भूमि पर स्वामित्व के अधिकार दे दिये जाएं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया—

''जिसने किसी निर्जीव ज़मीन को जीवन प्रदान किया वह उसी की है।'' (तिर्मिज़ी)

यही बात हज़रत उमर रज़ि0 ने भी फ़रमाई है।

(मुवत्ता, बुखारी)

इस विषय में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं ताकि व्यक्ति के अधिकारों और समाज के हितों को क्षति न पहुंचे—

(1) किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन को बेकार पड़ी हुई ठहराकर उस पर अधिकार नहीं जमाया जाएगा। हज़रत आइशा रज़ि0 ने रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया—

•''जिसने किसी ऐसी ज़मीन को कृषि योग्य बनाया या आबाद किया, जिसका कोई मालिक नहीं है तो वही उसका ज़ियादा अधिकारी है।'' (बुख़ारी)

इससे ज्ञात हुआ कि किसी ज़मीन को आबाद करने से उस पर व्यक्ति का अधिकार उसी समय माना जाएगा जबकि वह किसी अन्य स्वामित्व में न हो। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ि0 की रिवायत अधिक स्पष्ट है। वह अल्लाह के रसूल सल्लव का यह कथन उद्धृत करते हैं—

''जिसने किसी निर्जीव भूमि को जीवन प्रदान किया वह उसी की है, परन्तु निष्ठुर प्रयास (अत्याचार से की हुई खेती) का कोई अधिकार नहीं है।''

(अबू दाऊद, तिरमिज़ी)

अर्थात बंजर भूमि और ग़ैर आबाद ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाला और आबाद

करने वाला ही उसका स्वामी होगा, परन्तु किसी बहाने से दूसरे की भूमि पर क़ब्ज़ा करना और उसमें खेती शुरु कर देना नाजाइज़ व अवैध है। यह खुला हुआ अन्याय है और अन्याय की किसी भी दशा में अनुमति नहीं है। उपरोक्त हदीस के तहत बताया गया है कि एक व्यक्ति ने दूसरे की ज़मीन में खजूर के पेड़ लगवा लिए थे। अल्लाह के रसूल सल्ल0 के सामने मुक़दमा पेश हुआ तो आपने फ़ैसल दिया कि भूमि उसके स्वामी की है और जिसके वृक्ष थे उसे आदेश दिया कि वह उन पेड़ों को कटवा कर ले जाए। अतः पेड़ कटवा दिये गये। (अबू दाऊद)

इससे फ़िक़्ह की इस बात की पुष्टि होती है कि किसी बेकार पड़ी ज़मीन के स्वामी का पता न चले और उसे आबाद कर लिया जाय तो स्वामी का पता चलने पर ज़मीन उसे लौटा दी जाएगी और ज़मीन के मालिक को जो हानि हुई है ज़मीन को आबाद करने वाला उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

(हिदायाः 4/478)

(2) फ़िक़्ह हनफ़ी के विचार से बेकार पड़ी भूमि वह है जो आबादी से दूर हो। जो ज़मीन आबादी के निकट हो, उससे आबादी के अनेक हित जुड़े रहते हैं। अतः आबादकारी के आदेश उससे संबद्ध न होंगे।

इमाम शाफ़ई रह0 और इमाम अहमद रह0 आदि कहते हैं कि बेकार पड़ी ज़मीन को आबाद करने के लिए इस्लामी राज्य के शासक व इमाम की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति उसे आबाद करे उसी का अधिकार स्वीकार किया जाएगा परन्तु इमाम अबू हनीफ़ा रह0 ने शासक की राय को अनिवार्य ठहराया है। इमाम मालिक कहते हैं कि जो भूमि आबादी के निकट हो उसके लिए तो शासक व इमाम की अनुमति आवश्यक है, परन्तु जो भूमि दूर हो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(हिदायाः 4/478, फ़तहुल बारीः5/12)

(3) किसी ने ज़मीन की हदबन्दी कर ली और तीन वर्ष तक उसे आबाद न किया तो इस्लामी राज्य उससे भूमि लौटा लेगा तथा अन्य व्यक्ति को दे देगा। क्योंकि प्रथम व्यक्ति को ज़मीन इसलिए दी गयी थी ताकि वह उसे आबाद करे और 'उश्र' तथा 'ख़िराज' के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचे। केवल हदबन्दी को 'ज़मीन की आबादकारी' नहीं कहा जा सकता। (हिदायाः 4/478)

इसका समर्थन हज़रत उमर रज़ि0 के इस कथन से भी होता है—

''जिसने तीन वर्ष तक ज़मीन को बिना आबाद किये छोड़ दिया और किसी अन्य व्यक्ति ने आ कर उसे आबाद कर लिया तो वह उसी की होगी।''(फ़तहुल बारीः5/4)

(4) आबादकारी के अर्थ में कृषि एवं खेती भी है और मकान का निर्माण भी। 'हनफ़ी फ़िक़्ह' के अनुसार इसके प्रारंभिक प्रयास भी इसमें सम्मिलित हैं।

(हिदायाः 4/477)

(5) बेकार पड़ी ज़मीन को आबाद करने का अधिकार मुसलमानों की भांति ज़िम्मियों (ग़ैर–मुस्लिमों) को भी प्राप्त होगा। (हिदायाः 4/477)

ग़ैर–आबाद या बंजर भूमि को आबाद करने के विषय में इस्लामी क़ानून बहुत विस्तृत है। यहां उसके केवल कुछ पहलुओं की ओर संकेत किया गया है।

वृक्षारोपण

आहार, स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टिकोण से वृक्षों का महत्व बिल्कुल स्पष्ट है। इनसे साफ़–सुथरी और स्वच्छ हवा मिलती है। वे ठंडी और आनन्द दायक छाया देते हैं। अनेक वृक्षों के फूलों और पत्तों में इन्सानों और पशुओं का आहार और उपचार है। उनमें वृक्ष भी हैं जो उत्तम, रुचिकर और उत्कृष्ट फल पैदा करते हैं, जो उत्तम पोषक तथ्व वाले हैं और जिनका विकल्प इन्सान के पास नहीं है। इनकी सूखी लकड़ी निर्माण के काम आती है, ईंधन में प्रयोग होती है तथा इनसे अन्य बहुत से लाभ उठाए जाते हैं।

जंगलों से लाभ तथा उनके प्रभावों से हम सब परिचित हैं। इनके द्वारा ठीक समय पर वर्षा होती है, मौसम में उचित और रुचिपूर्ण परिवर्तन आता है, प्रदूषण तथा अशुद्धता दूर होती है। वे भूमि–कटाव और बाढ़ की रोकथाम का भी साधन हैं। केवल यही नहीं बल्कि जंगलों के और भी बहुत से लाभ हैं।

ज़मीन की आबादकारी में वृक्षारोपण तथा बाग़ों का लगाना भी शामिल है। हदीसों में अलग से इसकी ओर विशेष ध्यान दिलाया गया है। हज़रत अनस रज़ि0 रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

० ''मुसलमान जो पौधा लगाता या कृषि करता है उससे पक्षी, इन्सान या पशु कुछ खाते हैं तो वह उसकी ओर से सदक़ा है''।

(बुखारी)

इसी अर्थ की एक रिवायत में हज़रत जाबिर रज़ि0 से उद्धृत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

०''मुसलमान कोई वृक्ष लगाता है तो उससे जो कुछ खाया जाता है वह उसकी ओर से सदक़ा है। यहां तक कि जो उससे चोरी हो जाए वह भी सदक़ा है, जो जंगली पशु खाएं वह भी सदक़ा है, पक्षी जो खाएं वह भी सदक़ा है। कोई व्यक्ति उसमें से कुछ ले ले तो वह भी सदक़ा है।'' (मुस्लिम)

हज़रत अनस रज़ि0 की हदीस के तहत हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इस हदीस में वृक्ष लगाने और खेती करने की श्रेष्ठता बताई गयी है और भूमि को आबाद करने की प्रेरणा भी दी गयी है।

० इसके बाद कहते हैं कि इससे उपजाऊ ज़मीन रखने और उसमे निवास करने का भी प्रमाण मिलता है। इससे उन संन्यासियों के विचार का खण्डन होता है जो इन कामों को बुरा समझते हैं। कुछ रिवायतों से ऐसा लगता है जैसे इन कामों को घृणा से देखा गया है, परन्तु यह उस दशा में है जब व्यक्ति इनमें व्यस्त हो कर दीनी कामों से ग़ाफ़िल हो जाए।

(फ़तहुल बारीः 5/3)

हज़रत मुआज़ रज़ि0 की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

०''जिस व्यक्ति ने किसी पर अत्याचार एवं ज़ियादती किये बिना किसी भवन का निर्माण किया अथवा अत्याचार एवं ज़ियादती किये बिना कोई वृक्ष लगाया तो उसके लिए जारी रहने वाला अज्र है जब कि अल्लाह तआला की मख़लूक़ उससे फ़ायदा उठाए।''

(मुसनद अहमदः 3/338)

वृक्षारोपण अथवा बाग़ उगाने का काम इन्सान अपने निजी लाभ के लिए भी कर सकता है। इसका भी सवाब है। परन्तु यदि यही काम जनसाधारण के लाभ के लिए हो तो उसका अज्र और प्रतिदान पहले से अधिक है। यह 'अनवरत दान' का एक रूप है। अर्थात आदमी की मृत्यु के बाद उसके लगाए हुए वृक्ष से जब तक लोग फ़ायदा उठाएंगे उसे प्रतिदिन सवाब मिलता रहेगा। मुस्लिम की जो रिवायत अभी ऊपर गुज़री है, उसमें 'क़ियामत तक' के शब्द भी आये हैं, अर्थात उसे क़ियामत तक अज्र व सवाब पहुंचता रहेगा। एक वृक्ष लगाया जाए तो उससे अनेक वृक्ष पैदा हो सकते हैं। इसी प्रकार किसी चीज़ की थोड़ी सी खेती अधिक खेती का कारण बन सकती है। जब तक यह बाक़ी है सवाब जारी रहेगा क्योंकि अल्लाह की मख़लूक़ उससे फ़ायदा उठाती रहेगी। यह क्रम क़ियामत तक लंबा हो सकता है।

एक व्यक्ति ने दमिश्क़ में हज़रत अबू दरदा रज़ि0 को वृक्ष गलाते देखा तो कहा कि आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, इस सांसारिक मोह में लगे हुए हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ि0 ने फ़रमाया आपत्ति करने में जल्दी न करो, यह तो एक सवाब का काम है जिसमें मैं व्यस्त हूं मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल0 से सुना है–

०''यदि कोई व्यक्ति वृक्ष लगाए और उसके फल से आदमी या अल्लाह की कोई मख़लूक़ लाभ उठाए तो यह उसके लिए एक सदक़ा है।''

(मुसनद अहमदः 6/444)

इन हदीसों में जो श्रेष्ठता बयान हुई है उसमें मार्ग के किनारे छायादार वृक्ष लगाना, जनहित के लिए बाग़ लगाना, पार्क बनवाना और जंगलों की सुरक्षा एवं उनकी देखभाल भी आ सकती है।

मस्जिदों का निर्माण

मस्जिद का निर्माण बुन्यादी तौर पर अल्लाह की इबादत के लिए होता है। इसका निर्माण प्रत्यक्ष रूप से इबादत में सहयोग है। परन्तु प्रारम्भिक काल में मस्जिदें इबादत के अतिरिक्त मुसलमानों के शैक्षिक एवं राजनैतिक केन्द्रों की भी हैसियत रखती थीं। इनकी यह हैसियत अब बहुत परिवर्तित हो चुकी है। अतः जनहित संबंधी सेवाओं के तहत इनका उल्लेख अवश्य किया जा सकता है। मस्जिद के निर्माण का सवाब हज़रत उस्मान रज़ि0 से उल्लिखित हदीस में इस प्रकार बयान हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

०''जिसने अल्लाह की प्रसन्नता हेतु मस्जिद बनाई तो अल्लाह तआला उसके लिए इसी प्रकार का घर जन्नत में बनाएगा।''

(बुख़ारी–मुस्लिम)

(कान्ति पत्रिका अक्तूबर 2018 से ग्रहीत)

❖❖❖

जारी.....

दे ख़ुदा तुम को सुकूँ, रोहँगिया

हैं मसाइब में घिरे, रोहंगिया
इम्तिहां में हैं बड़े, रोहंगिया
रह्म फ़रमा, रह्म फ़रमा या रहीम
दीन पर साबित रहें, रोहंगिया
इम्तिहां दुन्या में तो होते ही हैं
इम्तिहां में नाजेह हों, रोहंगिया
ना है दौलत, ना हुकूमत, अपने पास
है बड़ी दौलत दुआ़, रोहंगिया
आख़िरत में सुख पे सुख तुम को मिले
है यह दुन्या आ़रिज़ी, रोहंगिया
मुशकिलें यह आरिज़ी भी दूर हों
दे ख़ुदा तुम को सुकूं, रोहंगिया
तुम नबी के उम्मती, हम भी तो हैं
उम्मती भाई हो तुम, रोहंगिया
रह्मतें या रब नबी पर और सलाम
पढ़ते हम, पढ़ते हो तुम, रोहंगिया

❖❖❖

हज़रत मौलाना वाज़ेह रशीद हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि

9 जुमादल ऊला 1440 हि0 मुताबिक 16 जनवरी 2019 बुध की सुब्ह को पोते अब्दुल करीम ने खबर दी कि मौलाना इस दुन्या में न रहे, ऐसा लगा कि दिल पर बिजली गिर गई, इन्नालिल्लाहि पढ़ी। मौलाना का क़ियाम मस्जिद के बगल नदवे के मेहमान खाने में था, फौरन हाजिर हुआ, जियारत की फिर इन्नाहिल्लाह पढ़ी। मेरे बैठने के लिए कुर्सी रखी गई मगर मैं इस हाल में न था कि बैठ सकूं। हज़रत मौलाना राबे साहिब, हमज़ा मियां और दूसरे हाजिरीन को सलाम कर के और उनकी ताज़ियत कर के वापस आ कर लेट गया और दुआ करता रहा कि अल्लाह मुझे ईमान के साथ उठा ले और अगर ज़िन्दा रहूं तो मौलाना की नमाज़े जनाज़ा में शिरकत की तौफीक़ मिले चुनांचे अल्लाह तआला ने जनाज़े की नमाज़ में शिरक़त की तौफीक़ दी उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हुई और पूरी रात बेचैनी रही।

हज़रत मौलाना से मेरा तअल्लुक़ 1962 से है जब वह देहली में कियाम फरमाते थे, मेरा जब देहली जाना होता तो मौलाना से मिलता और वह मेरे लिए करीबी मस्जिद में ठहरने का नज़्म कर देते। मौलाना जब नदवा आ गये तब मौलाना से तअल्लुक खासा बढ़ गया, जब मौलाना मुईनुल्लाह नदवी रह0 ने मौलाना अब्दुल करीम पारिख़ के कुर्आन मजीद के तर्जुमे की तस्ह़ीह़ का काम मेरे सुपुर्द किया तो मेरी तस्ह़ीह़ की चेकिंग हज़रत मौलाना वाज़ेह साहिब रह0 ही फरमाते थे इस तरह दो साल से ज़ियादा अरसे तक मौलाना से रोज़ाना का तअल्लुक़ रहा, और इस तरह वह मेरे उस्ताद भी हो गये।

सच्चा राही मौलाना ही के मशवरे और तजवीज से मार्च 2002 में जारी हुआ था और उन्हीं की तजवीज़ से एक मीटिंग में मुझे सच्चा राही का एडीटर बनाया गया था।

हज़रत मौलाना पर उनके हमअस्र उलमा और शागिर्द बहुत कुछ लिखेंगे मुझे भी मौक़ा मिला तो इनशाअल्लाह लिखूंगा इस वक़्त तो इतने ही पर इक्तिफ़ा करता हूं।

मौलाना की तरीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1935 ई0 है, मौलाना के इक्लौते साहिबज़ादे मौलाना जाफ़र हसनी नदवी, मदरसा आलिया इरफानिया में सरकारी मुदर्रिस हैं वह नदवतुल उलमा की अरबिक पत्रिका "अर्राइद" के एडीटर भी हैं। माशा अल्लाह तीन पोते हैं सब बहुत नेक हैं अल्लाह तआला सब को आफियत अता फरमाये और सब को खास तौर से जाफर मियां, हज़रत मौलाना राबे साहिब, मौलाना हमज़ा मियां और सब घर वालों को सब्रे जमील अता फरमाये और हज़रत मौलाना की बाल बाल मगफिरत फरमा कर दरजात बुलन्द करे। आमीन! तमाम पाठकों से भी दुआए मगफिरत की दरख़्वास्त है।

फरवरी का पर्चा प्रेस जा रहा था। कम्पोजीटर से कहा कि एक पेज का मैटर रोक कर इस को शामिल कर दें। (सम्पादक)

सच्चा राही की कहानी
(एक पाठक की ज़बानी)

(पद्य)

अम्मी अम्मी सच्चा राही ले के डाकिया आया है
कवर पेज का काव्य तो उस का मुझ को बहुत ही भाया है
आप तो उसको पढ़ती ही हैं मैं भी उस को पढ़ता हूं
कालेज के मित्रों से इस को पढ़ने को मैं कहता हूं
फर्स्ट पेज की कविता मुझ को बहुत ही अच्छी लगती है
छोटी बहना मेरी उस को रुचि से गाने लगती है
शिक्षा है कुर्आन की इस में प्यारे नबी की बातें हैं
उत्तर होता बहुत ही अच्छा इसमें दीनी प्रश्नों का
उत्तर होता सच्चा पक्का इफ़्ता घर के मुफ़्ती का
अली मियां का लेख है इस में लेख है नाज़िमे नदवा का
बड़े–बड़ों के लेख हैं इस में लेख मुहतमिम नदवे का
मेल मिलाप की बातें इसमें मिलती हमें सदैव हैं
मानवता की बातें इसमें मिलती हमें सदैव हैं
हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई रहें वह मिल कर भारत में
ऊँच नीच और छूत छात अब रहे नहीं इस भारत में
ज्ञान भी सीखो कला भी सीखो सच्चा राही कहता है
निर्धनता को दूर भगाओ सच्चा राही कहता है
शासक हो या शासित हो अनुशासन अपनाएं सब
मन्सूबे जो शासन के हों उन से लाभ उठाएं सब
दुआ़ हैं करते सच्चा राही सत्य मार्ग पर रहे सदा
क़दम न उसका विचले या रब सत्य मार्ग पर रहे सदा

❖❖❖

Nadwatul Ulama
P.O. Box No. 93, Tagore Marg,
Lucknow - 226007 (India)

ندوة العلماء
ص.ب. ۹۳/، تیغور مارغ،
لکناؤ-۲۲۶۰۰۷ یوبی (الهند)

Date ______________ ______________التاریخ

09/09/2018 ۲۸/ذی الحجہ ۱۴۳۹ھ

باسمہ تعالیٰ

अपील बराए तामीर जदीद हास्टल

अल्लाह तआला का शुक्र है कि दारूल उलूम नदवतुल उलमा हजरत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी की संरक्षता में अपनी इल्मी व दीनी खिदमत में लगा हुआ है, दारूल उलूम में इल्मे दीन के तालिब इल्मों की अधिकता के कारण रिहाइश (निवास स्थान) की बड़ी समस्या हो गई, जिसकी वजह से तालिब इल्मों के दाखिले सीमित करने पड़ते हैं, और नये तालिब इल्मों की एक बड़ी संख्या मायूस होकर वापस हो जाती है। इस सूरतेहाल को देख कर नदवतुल उलमा की प्रबंधक कमेटी ने नये छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसका संगे बुन्याद हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से रखा जा चुका है, और अल्लाह की मदद के भरोसे पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

इस नये छात्रावास में जो तीन मन्ज़िला होगा, 36 कमरे और 2 हाल होंगे, ताकि तालिब इल्मों की रिहाइश (निवास) के साथ दूसरी शिक्षा संबन्धित ज़रूरतें पूरी हो सकें और वह संतुष्टि होकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इस निर्माण कार्य पर 3,61,74,600 (तीन करोड़, एक्सठ लाख, चौहत्तर हज़ार, छः सौ) रूपये, और एक कमरे पर लगभग साढ़े चार लाख रूपये के खर्च का अन्दाज़ा है, जो इन्शाअल्लाह अहले खैर के तआवुन (सहयोग) से पूरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर अवश्य ध्यान देंगे और नदवतुल उलमा के कार्यकर्ताओं का हाथ बटाएंगे।

हमें अल्लाह तआला पर भरोसा है कि उसकी मदद से यह अहम काम पूर्ति को पहुंचेगा।

मौ0 मु0 वाज़ेह रशीद नदवी	प्रो0 अतहर हुसैन	मौ0 सईदुररहमान आज़मी नदवी
(मोतमद तअलीम, नदवतुल उलमा)	(मोतमद माल, नदवतुल उलमा)	(मोहतमिम दारूलउलूम, नदवतुल उलमा)

चेक / ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें।

NADWATUL ULAMA
A/C NO. 10863759733 (IFSC CODE - SBIN0000125)
(State Bank of India Main Branch, Lucknow.)

और इस पते पर भेजें।

NIZAMAT OFFICE, NADWATUL ULAMA,
P.O. BOX NO. 93, TAGORE MARG,
LUCKNOW - 226007 (U.P.)

Phone: +91-522-2741316, Guest House: 2740141, Fax: 2741023
e-mail: nadwa@sancharnet.in, website: www.nadwatululama.org

उर्दू सीखये

हिन्दी जुम्लों की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़ये

पयामे इन्सानीयत के पैग़ामात पढ़ये।
پیام انسانیت کے پیغامات پڑھیئے۔
किसी बे सहारा बेवा को पायें तो उसकी मदद करें।
کسی بے سہارا بیوا کو پائیں تو اس کی مدد کریں۔
किसी बे सहारा यतीम को पायें तो उसकी मदद करें।
کسی بے سہارا یتیم کو پائیں تو اس کی مدد کریں۔
सब इन्सानों के साथ अच्छा सुलूक करें ख़ास तौर पे पड़ोसियों के साथ।
سب انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں خاص طور سے پڑوسیوں کے ساتھ۔
पड़ोसी की बहन बेटियों की आबरू की हिफ़ाज़त करें।
پڑوسی کی بہن بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کریں۔
पड़ोसी भूका हो तो कोशिश कर के उसे खाना पहुंचायें।
پڑوسی بھوکا ہو تو کوشش کر کے اسے کھانا پہنچائیں۔
किसी की बहन बेटी पर बुरी निगाह डालने को जुर्म और गुनाह समझें।
کسی کی بہن بیٹی پر بری نگاہ ڈالنے کو گناہ اور جرم سمجھیں۔
किसी पर जुल्म हो रहा हो तो मुम्किन हो तो उसे जुल्म से बचाएं।
کسی پر جرم ہو رہا ہو تو ممکن ہو تو اسے جرم سے بچائیں۔
आपका पड़ोसी अनपढ़ हो तो आप उसे इल्म सिखाएं।
آپ کا پڑوسی ان پڑھ ہو تو آپ اسے علم سکھائیں۔
बच्चियों की तालीम व तरबियत में कोताही न करें।
بچّیوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی نہ کریں۔
इन्सानीयत के ये पैग़ामात मुआशरे में आम करें।
انسانیت کے یہ پیغامات معاشرے میں عام کریں۔